



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01022020-215852
CG-DL-E-01022020-215852

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 28, 2020/माघ 8, 1941

No. 26]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 28, 2020/MAGHA 8, 1941

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2020

फा. सं. 4/15/2016-ईसीबी.—केंद्रीय सरकार, भारत के राजपत्र में दिनांक 21 अगस्त, 2019 को प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की अधिसूचना सं. 4/15/2016-ईसीबी का अधिक्रमण करते हुए, एतद्वारा भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा पंजीकरण, बैंक और डीमैट खाते खोलने, और स्थाई खाता संख्या के लिए आवेदन करने के प्रयोजनार्थ अनुबंध 1 के रूप में संलग्न सामान्य आवेदन प्रपत्र अधिसूचित करती है।

आनन्द मोहन बजाज, संयुक्त सचिव

सामान्य आवेदन फॉर्म

[सेबी के पास विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) के रूप में रजिस्ट्रीकरण, स्थायी खाता संख्या (पैन) आबंटन तथा बैंक एवं डीमैट खाता खोलने हेतु अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) के लिए एक संयुक्त आवेदन फॉर्म]

गलतियों से बचने के लिए, कृपया फॉर्म भरने से पहले इस फॉर्म के साथ दिए हुए अनुदेशों और उदाहरणों को देखें

केवल 'व्यक्ति' हाल ही में
खिचवाई गई तस्वीर
चिपकाएँ
(3.5सेमी×2.5सेमी)

फोटो पर हस्ताक्षर/बाएं हाथ के
अंगूठे का निशान इस तरह लगाएँ
कि आधा तस्वीर पर तथा आधा
फॉर्म पर आए

केवल 'व्यक्ति' हाल ही में
खिचवाई गई तस्वीर
चिपकाएँ
(3.5सेमी×2.5सेमी)

हस्ताक्षर/बाएं हाथ के अंगूठे का निशान

महोदय,

मैं/हम एतद्वारा अनुरोध करता हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें स्थायी खाता संख्या और एफपीआई रजिस्ट्रीकरण संख्या आबंटित की जाए। इस संदर्भ में, मैं/हम आवश्यक विवरण नीचे प्रस्तुत करता/करती हूँ/करते हैं:

भाग क - केवाईसी सूचना संबंधी जानकारी

1) आवेदक का नाम (पूरा नाम लिखें जैसा पहचान के सबूत / पते के सबूत के तौर पर दिए गए दस्तावेजों में उल्लेख हों : संक्षिप्ताक्षरों की अनुमति नहीं है)

कृपया शीर्षक चुनें, ☒ जैसा लागू हो ☐ श्री ☐ श्रीमती ☐ कुमारी/सुश्री ☐ मैसर्स

अंतिम नाम/उपनाम

प्रथम नाम

मध्य नाम

2) नाम के संक्षिप्ताक्षर, जैसे आप स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड पर मुद्रित कराना चाहते हैं

3) क्या आप कभी किसी अन्य नाम से जाने गए हैं ? ☐ हाँ ☐ नहीं (जो लागू हो, उस पर सही का निशान लगाएँ)

यदि हाँ, कृपया वह नाम बताएँ

कृपया शीर्षक चुनें, ☒ जैसा लागू हो ☐ श्री ☐ श्रीमती ☐ कुमारी/सुश्री ☐ मैसर्स

अंतिम नाम/उपनाम

प्रथम नाम

मध्य नाम

4) व्यष्टियों (व्यक्तियों) के निकाय या व्यक्तियों के संगम के जन्म/निगमन/करार/गठन की तारीख (दिन/महीना/वर्ष)

	विवरण	तारीख (दिन/महीना/वर्ष)
क)	व्यक्तियों (व्यष्टियों) के निकाय या व्यक्तियों (व्यष्टियों) के संगम के जन्म/निगमन/करार/भागीदारी या न्यास विलेख/स्थापना/गठन की तारीख	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
ख)	कारबार शुरू करने की तारीख (व्यष्टियों के लिए लागू नहीं)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

5) जन्म/निगमन/स्थापना/गठन का स्थान और देश

स्थान _____ देश

आईएसडी देश कोड:

यदि आवेदक विदेशी व्यक्ति (व्यष्टि) हो, तो कृपया आवेदक की राष्ट्रीयता और पासपोर्ट संख्या का उल्लेख करें:

राष्ट्रीयता/नागरिकता: _____

आईएसडी देश कोड:

पासपोर्ट सं _____

6) विधिक एंटीटी पहचानकर्ता और कर अधिवासिता प्रमाण पत्र के ब्यौरे

	विवरण	ब्यौरे
क)	विधिक एंटीटी पहचानकर्ता (एलईआई) सं.	
ख)	कर अधिवासिता प्रमाणपत्र (टीआरसी) सं.	कर अधिवासिता देश <input type="text"/>

+ जोड़ें (अनेक कर अधिवासिता देशों के मामले में पंक्ति जोड़ें)

आवेदक के हस्ताक्षर _____

7) पता और पत्र-व्यवहार के लिए पते के ब्यौरे

क) रजिस्ट्रीकृत /आवास का पता

फ्लैट/ कमरा/दरवाजा/ब्लॉक सं.

परिसर/भवन/गाँव का नाम

सड़क/मार्ग/पथ/डाकघर

क्षेत्र/मोहल्ला/तालुका/उपमंडल

शहर/नगर/जिला

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

पिन कोड/ जिप कोड

[illegible]

ख) कार्यालय का पता

कार्यालय का नाम

फ्लैट/कमरा/दरवाजा/ब्लॉक सं.

परिसर/भवन/गाँव का नाम

सड़क/मार्ग/पथ/डाकघर

क्षेत्र/मोहल्ला/तालुका/उपमंडल

शहर/नगर/जिला

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

पिन कोड/ जिप कोड

[illegible]

ग) पत्र-व्यवहार के लिए पता

☐ रजिस्ट्रीकृत/आवास ☐ कार्यालय (जो लागू हो, कृपया उस पर सही का निशान लगाएँ)

घ) संपर्क संबंधी ब्यौरे:

क्रम सं.	विवरण	रजिस्ट्रीकृत/आवास			कार्यालय		
		देश कोड	क्षेत्र/एसटीडी कोड	संख्या	देश कोड	क्षेत्र/एसटीडी कोड	संख्या
1	दूरभाष संख्या:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	मोबाईल नं:	<input type="text"/>					
3	फैक्स नं.	<input type="text"/>					
4	ई-मेल आईडी	<input type="text"/>					
5	वेबसाइट	<input type="text"/>					

8) अंतिम हिताधिकारी स्वामी (अंतिम प्रकृत व्यक्ति) के संबंध में जानकारी

क) व्यक्ति अभिरक्षक/डीडीपी अनेक मानदंडों जैसे एफपीआई के देश, एंटीटी के प्रकार, कारबार के स्वरूप आदि के आधार पर एफपीआई आवेदकों के स्वतंत्र मूल्यांकन और जोखिम के स्तर के आधार पर अतिरिक्त दस्तावेजों / स्वातिव के ब्यौरों (निर्धारित सीमा से कम) की माँग कर सकते हैं।

□ हम यह घोषणा करते हैं कि ऐसा कोई प्रकृत व्यक्ति/व्यष्टि (व्यक्ति) नहीं है जो एंटीटी में प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से और/या कंपनियों तथा न्यासों एवं सामान्य भागीदार / सीमित भागीदारी संरचना के नियंत्रण आधार पर % हिताधिकारी स्वामित्व अंतिम रूप से धारण करता हो। इसलिए हम एफपीआई के वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी के व्यौरों नीचे दे रहे हैं।

☐ नियंत्रण से संबंधित स्वामित्व हित के लिए महत्वपूर्ण सीमा-रेखा के अनुसार और/या नियंत्रण के आधार पर हिताधिकारी स्वामियों की सूची निम्नानुसार है:

क्र.सं.	हिताधिकारी स्वामी (प्रकृत व्यक्ति) का नाम और पता	जन्म की तारीख	कर अधिवासिता संबंधी अधिकार क्षेत्र	राष्ट्रियता	क्या स्वयं या मिलजुल कर, अथवा एक या एक से अधिक प्रकृत व्यक्ति के जरिए समूह में कार्य कर रहे हैं? उन व्यक्तियों के नाम और पते।	एफपीआई में बीओ समूह की शेयरधारिता / पैंजी / लाभ स्वामित्व का प्रतिशत	बीओ की कर अधिवासिता सं./सामाजिक सुरक्षा सं./ पासपोर्ट सं./ सरकार द्वारा जारी कोई अन्य पहचान पत्र सं. (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस) (कृपया किसी एक का उल्लेख करें।)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

आवेदक के हस्ताक्षर

ख) इस पर कुछ व्यक्तियों या एक ही परिवार के व्यक्तियों का हिताधिकारी स्वामित्व और नियंत्रण है?

☐ हाँ ☐ नहीं

9) आय के ब्यौरे

क) आय के स्रोत: कारोबार / व्यवसाय कोड

ख) कुल वार्षिक आय (भारतीय रुपये में):

शुद्ध-मालियत (आस्तियों में से देयताएं घटाने के बाद) (भारतीय रुपये में): (दिन/महीना/वर्ष) तक की स्थिति के अनुसार

10) व्यवसाय के ब्यौरे:

व्यष्टियों के लिए गैर-व्यष्टियों के लिए

11) केवाईसी हेतु पहचान के सबूत और पते के सबूत के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज

पहचान का सबूत (पीओआई) पते का सबूत (पीओए)

12) क्या आवेदक या आवेदक के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/संप्रवर्तक/भागीदार/न्यासी/पूर्णकालिक निदेशक/पदाधिकारी निम्नलिखित हैं

क) राजनीतिक जोखिम वाले व्यक्ति ☐ हाँ ☐ नहीं

ख) राजनीतिक जोखिम वाले व्यक्ति से संबंधित ☐ हाँ ☐ नहीं

भाग ख – विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के रजिस्ट्रीकरण संबंधी जानकारी

13) आवेदक की श्रेणी

आवेदक का वर्गीकरण (कृपया सबसे उपयुक्त श्रेणी चुनें। 'अनुदेश / दिशानिर्देश' देखें)

क) श्रेणी का प्रकार उप-श्रेणी का नाम

ख) निवेश करने वाली / निवेश न करने वाली एंटीटी (केवल निवेश प्रबंधक के लिए लागू)

14) क्या आवेदक बहु-निवेश प्रबंधक (एमआईएम) संरचना के तहत रजिस्ट्रीकरण की मांग कर रहा है?

☐ हाँ ☐ नहीं

15) एफपीआई के निवेश प्रबंधक के ब्यौरे, जो एफपीआई विनियम, 2019 (समय-समय पर यथा संशोधित) के विनियम 5(क) के तहत रजिस्ट्रीकृत है या एमआईएम संरचना के तहत रजिस्ट्रीकरण की मांग कर रहा है।

क्र.सं.	निवेश प्रबंधक का नाम	सेबी द्वारा दी गई रजिस्ट्रीकरण सं.

16) क्या आवेदक ने वैध स्व-प्रमाणन/एफएटीसीए/सीआरएस घोषणा फॉर्म दे दिया है ?

☐ हाँ ☐ लागू नहीं

17) अनुपालन अधिकारी के संबंध में जानकारी

नाम	
व्यवसाय का नाम	
दूरभाष सं.	
ई-मेल आई डी	फैक्स संख्या

18) उस विनियामक प्राधिकरण के ब्यौरे जिसके दायरे में आवेदक आता है (यदि लागू हो)

नाम	
देश	वेबसाइट
विनियामक, यदि कोई हो, द्वारा दी गई रजिस्ट्रीकरण संख्या / कोड	
श्रेणी / क्षमता जिसके तहत आवेदक विनियमित है	

आवेदक के हस्ताक्षर

19) क्या आवेदक वैश्विक अभिरक्षक के जरिए आ रहा है?

☐ हाँ ☐ नहीं

यदि हाँ, तो वैश्विक अभिरक्षक का नाम बताएँ	
विनियामक का नाम	
विनियामक, यदि कोई हो, द्वारा दी गई रजिस्ट्रीकरण संख्या / कोड	
पता	

20) अभिहित निक्षेपागार सहभागी, प्रतिभूति अभिरक्षक और नियुक्त नामनिर्दिष्ट एडी श्रेणी I बैंक के ब्यौरे

क) डीडीपी / प्रतिभूति अभिरक्षक / निक्षेपागार सहभागी का नाम

नाम	सेबी द्वारा दी गई रजिस्ट्रीकरण संख्या
-----	---------------------------------------

ख) नामनिर्दिष्ट एडी श्रेणी I बैंक का ब्यौरा (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित)

बैंक और शाखा का नाम	
पता	

21) अनुशासन संबंधी इतिहास

क्या प्रतिभूति विधियों (सिक्कुरिटीज़ लॉ) / सदाचार / आचार संहिता / कारबार नियम संहिता के उल्लंघन या पालन न करने का कोई मामला हुआ है, जिसके लिए आवेदक या उसकी मूल / धारिता कंपनी या उसके सहयुक्त या संप्रवर्तक / निवेश प्रबंधक आपराधिक दायित्व के अधीन रहा हो या उसे अपना कामकाज करने से निलंबित किया गया हो अथवा उसका रजिस्ट्रीकरण अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से प्रतिसंहत (वापस ले लिया) किया गया हो या कोई विनियामक कार्यवाही, जिसकी वजह से आवेदक के देश में उसके निवेश संबंधी कार्यों को अस्थायी या स्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया हो और जिसका असर भारत में निवेश करने के लिए एफपीआई रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने पर भी पड़े।

☐ हाँ ☐ नहीं (यदि हाँ, तो नीचे दिए बॉक्स में विवरण दें, और विवरण के लिए अनुलग्नक संलग्न करें)

22) निवेश सीमा को एक साथ मिलाया जाना

☐ हम अन्य एफपीआई के साथ पचास प्रतिशत से अधिक समान स्वामित्व (फिर चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से) वाली या समान नियंत्रण वाली एंटीटी हैं और हमें विनियम 22(4) के तहत छूट प्राप्त है। निवेशक समूह के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	उस एफपीआई/ओडीआई अभिदाता का नाम जिसके साथ आवेदक का 50% से अधिक समान स्वामित्व या समान नियंत्रण हो	यदि ओडीआई अभिदाता हो, तो कृपया संबंधित एफपीआई का नाम लिखें	एफपीआई की रजिस्ट्रीकरण संख्या

☐ यदि विनियम 22(4) में उल्लिखित पब्लिक रिटेल फंड की दशा में, समान नियंत्रण वाले एफपीआई के लिए निवेश सीमाओं को एक साथ नहीं मिलाया गया हो, तो कृपया निम्न ब्यौरे दें :

क्र. सं.	एफपीआई का नाम	एफपीआई रजिस्ट्रीकरण संख्या	सामान्य नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति का नाम

23) भारतीय प्रतिभूति बाजार से पहले कभी जुड़े हों, तो उसके ब्यौरे दें

क्या आवेदक भारतीय प्रतिभूति बाजार से एफपीआई, एफआईआई, उप लेखे, क्यूएफआई या एफवीसीआई के रूप में कभी जुड़ा था ? ☐ हाँ ☐ नहीं

एंटीटी का नाम	किस रूप में रजिस्ट्रीकृत/सहयुक्त	सेबी रजिस्ट्रीकरण सं. (यदि लागू हो)

भाग ग - पैन प्राप्त करने हेतु अतिरिक्त सूचना

24) क्या आवेदक के पास पहले से ही पैन है।

यदि हाँ, तो कृपया पैन लिखें: _____.

यदि नहीं, तो नीचे दिये गए खंड लागू होंगे।

25) आवेदक की स्थिति

26) अनिवार्य अधिकारी (एओ कोड)

क्षेत्र कोड	एओ प्रकार	रैंज कोड	एओ संख्या

आवेदक के हस्ताक्षर _____

36) पति/पत्नी का नाम

भाग ड - निक्षेपागार और बैंक खाता खोलना

37) निक्षेपागार खाता खोले जाने हेतु दी जाने वाली जानकारी

क) प्राधिकृत करना

- ☐ मैं/हम एतद्वारा निक्षेपागार सहभागी अर्थात् _____ (निक्षेपागार सहभागी का नाम) को मेरे/हमारे नाम (जैसा आवेदन फॉर्म में उल्लिखित है) से निक्षेपागार खाता खोलने का निवेदन करता हूँ/करती हूँ/करते हैं
- या
- ☐ मैं/हम/ निवेश न करने वाले एफपीआई हूँ/हैं तथा निक्षेपागार खाता खोलना नहीं चाहते हूँ/ चाहती हूँ/चाहते हैं ।

ख) एकल/प्रथम धारक के लिए प्रचालन का माध्यम (संयुक्त रूप से धारिता स्थिति में, सभी धारकों को हस्ताक्षर करना आवश्यक है) [गैर व्यष्टियों के लिए लागू]

<input type="checkbox"/> कोई भी एक	
<input type="checkbox"/> संयुक्त रूप से	
<input type="checkbox"/> संकल्प के अनुसार	
<input type="checkbox"/> अन्य (कृपया उल्लेख करें)	

38) बैंक खाते के विवरण:

- ☐ मैं/हम एतद्वारा विशेष अनिवासी रुपये खाता (एसएनआरआर) खोलने का निवेदन करता हूँ/करती हूँ/करते हैं
- या
- ☐ मैं/हम निवेश न करने वाला / वाली / वाले एफपीआई हूँ/हैं तथा बैंक खाता खोलना नहीं चाहता हूँ/चाहती हूँ/चाहते हैं ।

भाग - च (घोषणा और वचन)

घोषणा और वचन

मैं/हम _____, आवेदक-----की हैसियत से एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त आवेदन फॉर्म (संलग्न दस्तावेजों/अनुबंधों सहित) में जो उल्लेख किया गया है, वह मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार पूर्ण और सही है। मैं/हम यह वचन देता हूँ/देते हैं कि उक्त सूचना में किसी प्रकार का बदलाव होने पर आपको तुरंत सूचित किया जाएगा। मुझे/हमें इस बात की जानकारी है कि ऊपर दी गई जानकारी में कुछ भी गलत या असत्य अथवा भ्रामक या अनुचित ढंग से प्रस्तुत किया गया पाए जाने पर, मुझे/हमें इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। मैं/हम भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019 के तहत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के रूप में रजिस्ट्रीकरण, भारतीय आय-कर विभाग से स्थायी खाता संख्या (पैन) प्राप्त करने के लिए और निक्षेपागार खाता और बैंक खाता (यदि लागू हो) खोलने के लिए आवेदन करता हूँ/करती हूँ/करते हैं। इसके अलावा, मैंने/हमने भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019, उसके तहत जारी किए गए परिपत्रों, इसके प्रचालन संबंधी दिशानिर्देशों, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) व्यवस्था के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के संबंध में सेबी द्वारा दिए गए उत्तरों को पढ़ लिया है और समझ लिया है तथा मैं/हम सेबी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले किन्हीं अन्य निबंधनों और शर्तों का पालन करूंगा/करेंगे। मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि मैं/हम एफपीआई विनियमों के तहत पात्रता मापदंड को पूरा करता /करती हूँ/करते हैं और मैं/हम एफपीआई के रूप रजिस्ट्रीकृत होने के लिए पात्र हूँ/हैं। इसके अलावा, मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे पास वर्तमान में आय-कर विभाग द्वारा जारी किया गया स्थायी खाता संख्या (पैन) नहीं है तथा यदि मैं/हम एक से अधिक स्थायी खाता संख्या (पैन) रखता हूँ/रखते हैं तो आय-कर अधिनियम, 1961 के धारा 272(ख) के प्रावधानों के अनुसार 10,000/- रुपये की शास्ति (दंड) देने का दायी हूँगा/होंगे।

स्थान _____ तारीख: _____

आवेदक के लिए और की ओर से

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर	
नाम	
पदनाम (व्यष्टियों (व्यक्तियों) के लिए लागू नहीं)	
तारीख	दिन/महीना/वर्ष

आवेदक के हस्ताक्षर/बाएँ हाथ के अंगूठे का निशान
(बॉक्स के अंदर)

आवेदक के हस्ताक्षर _____

केवल कार्यालय प्रयोग हेतु

निक्षेपागार सहभागी का नाम			
निक्षेपागार सहभागी का पता			
निक्षेपागार सहभागी की आईडी		ग्राहक की आईडी	

आवेदक के बैंक खाते की जानकारी (निक्षेपागार प्रणाली में डालने हेतु)											
1)	बैंक खाते का प्रकार - अन्य - एसएनआरए _____										
2)	बैंक खाता संख्या										
3)	बैंक का नाम										
4)	शाखा का पता										
		शहर/नगर/ गाँव			पिन कोड						
		राज्य			देश						
5)	एमआईसीआर कोड										

प्राप्त दस्तावेज

जोखिम श्रेणी

व्यक्तिगत सत्यापन निम्नलिखित द्वारा किया गया

पहचान सत्यापन:

किस तारीख को किया गया :

कर्मचारी का नाम _____ कर्मचारी का कोड _____

कर्मचारी का पद _____ कर्मचारी की शाखा _____

हस्ताक्षर

संस्था के ब्यौरे

नाम _____

कोड _____

(संस्था की मुहर)

सामान्य आवेदन फॉर्म (सीएएफ) भरने संबंधी अनुदेश

- (क) एफपीआई आवेदकों के लिए एनएसडीएल की वेबसाइट (वेबसाइटों) (www.nsdl.co.in) या (www.fpi.nsdl.co.in) पर सामान्य आवेदन फॉर्म (सीएएफ) उपलब्ध रहेगा।
- (ख) आवेदकों द्वारा यह फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक रूप में और स्पष्ट अक्षरों में ही भरा जाए।
- (ग) प्रत्येक बॉक्स, जहाँ कहीं भी दिया गया हो, में एक ही अक्षर (वर्ण / संख्या / विराम चिह्न) डाला जाए और प्रत्येक शब्द के बाद एक बॉक्स खाली छोड़ा जाए।
- (घ) 'व्यक्ति (व्यष्टि)' आवेदक फॉर्म में दिए गए स्थान पर हाल ही में खिचवाई गई दो रंगीन तस्वीर (सफेद पृष्ठभूमि वाली) चिपकाएँ, जिनका आकार 3.5 से.मी. x 2.5 से.मी. हो। तस्वीर को स्टेपल न करें या क्लिप की सहायता से फॉर्म पर न लगाएँ। पैन कार्ड पर आने वाली तस्वीर की स्पष्टता फॉर्म पर लगाई गई तस्वीर की गुणवत्ता और स्पष्टता पर निर्भर करेगी। चूँकि यह फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही भरा जाना है, इसलिए, एक तस्वीर इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही लगाई जानी है और दूसरी को फॉर्म के दायीं ओर दिए गए बॉक्स में लगाया जाना है।
- (ङ) हस्ताक्षर / बाएँ हाथ के अंगूठे का निशान फॉर्म के बायीं ओर लगाई गई तस्वीर में इस तरह से लगाया जाए कि हस्ताक्षर / अंगूठे के निशान का कुछ हिस्सा तस्वीर के साथ-साथ फॉर्म पर भी आए।
- (च) हस्ताक्षर / बाएँ हाथ के अंगूठे का निशान फॉर्म के दायीं ओर दिए गए बॉक्स के भीतर ही आना चाहिए। फॉर्म के दायीं ओर लगाई गई तस्वीर पर हस्ताक्षर न करें। यदि इस तस्वीर पर कोई निशान है जिससे आवेदक का चेहरा साफ-साफ न दिखाई दे रहा हो, तो आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (छ) यदि अंगूठे का निशान लगाया गया हो, तो उसे नोटरी पब्लिक या आवेदक के देश में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित किया जाए और उस पर उसकी आधिकारिक मुहर लगाई जाए।
- (ज) अधिकार-क्षेत्र संबंधी निर्धारण अधिकारी (एओ) का एओ कोड (क्षेत्र कोड, एओ प्रकार, रेंज कोड तथा एओ संख्या) आवेदक द्वारा ही भरा जाना है। ये ब्यौरे आयकर कार्यालय या पैन केंद्र या पैन सर्विस प्रदाता के वेबसाइट (www.tin-nsdl.com) तथा www.utiitsl.com से प्राप्त किए जा सकते हैं।
- (झ) एक बार जब आवेदक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में सही प्रकार से फॉर्म भर लिया जाए और एनएसडीएल के इंटर-फेस पर समर्थक दस्तावेज अपलोड कर दिए जाएँ, तो वे इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही अभिहित निक्षेपागार सहभागी (डेज़िग्रेटिड डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट / डीडीपी) के पास चले जाएँगे। उसके बाद, आवेदक को भरे गए फॉर्म का प्रिंट लेना है। इस प्रकार, प्रिंट किए गए फॉर्म पर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएँगे और अपेक्षित मूल दस्तावेजों के साथ उस फॉर्म को कागज़ी रूप में अभिहित निक्षेपागार सहभागी (डेज़िग्रेटिड डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट / डीडीपी) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। भेजे जाने से पहले, प्रत्येक पृष्ठ पर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएँगे।
- (ञ) आवेदक संबद्ध डीडीपी के पास पैन कार्ड के फॉर्म के साथ-साथ भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के रजिस्ट्रीकरण के लिए तथा पैन जारी किए जाने के लिए लागू फीस डॉलर में ही अदा करेगा। बिना फीस वाले आवेदन नामंजूर कर दिए जाएँगे। उसके बाद, डीडीपी समुचित राशि को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के पास (डॉलर में) तथा आयकर विभाग के पास (भारतीय रुपये में) भेज देगा।
- (ट) डीडीपी पैन जारी किए जाने के लिए आवेदन को इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजने से पहले भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति अपलोड करेगा।
- (ठ) पैन आ जाने पर, अभिरक्षक (कस्टोडियन) केवाईसी करेगा। यदि आवेदक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) द्वारा भरा गया हो, तो केवाईसी संबंधी ब्यौरे देना अनिवार्य है, जैसा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी विनियमों में निर्धारित किया गया है। ये ब्यौरे भरने के लिए कृपया भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देश तथा धन शोधन निवारण अधिनियम (प्रिवेन्शन ऑफ मनी लॉण्ड्रिंग एक्ट) देखें।
- (ड) सामान्य आवेदन फॉर्म (सीएएफ) भरने संबंधी दिशानिर्देश :

[illegible]

जैसे सत्यम वेंकट एम.के. राव (SATYAM VENKAT M. K. RAO) को इस प्रकार लिखा जाए:																			
अंतिम नाम / उपनाम	R	A	O																
प्रथम नाम	S	A	T	Y	A	M													
मध्य नाम	V	E	N	K	A	T		M		K									

जैसे एम.एस. कांडास्वामी (मदुरै सोमासुंदरम कांडास्वामी) [M. S. KANDASWAMY (MADURAI SOMASUNDRAM KANDASWAMY)] को इस प्रकार लिखा जाए:

[illegible]

‘व्यक्ति (व्यष्टि)’ से भिन्न आवेदक ऊपर दिए गए अनुदेशों को नज़रअंदाज़ करें।

गैर-व्यष्टि अंतिम नाम/उपनाम के पहले ब्लॉक से शुरू करते हुए अपना पूरा नाम लिखें। यदि नाम, अंतिम नाम के लिए दिए गए स्थान से लंबा हो तो प्रथम नाम और मध्य नाम के लिए दिए गए स्थान तक भी लिख सकते हैं।

जैसे एक्सवाइज़ेड डाटा कारपोरेशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड [XYZ DATA CORPORATION (INDIA) PRIVATE LIMITED] को इस प्रकार लिखा जाए:

अंतिम नाम / उपनाम	X	Y	Z		D	A	T	A		C	O	R	P	O	R	A	T	I	O	N		(I	N
प्रथम नाम	I	A)		P	R	I	V	A	T	E		L	I	M	I	T	E	D					

[illegible]

		SATYAM VENKAT M.K. RAO या S.V.M. K. RAO या SATYAM V. M. K. RAO गैर-व्यष्टि आवेदकों के लिए, यह ऊपर खंड 1 में अंतिम नाम खंड के समान होना चाहिए ।																
3	क्या आप कभी किसी अन्य नाम से जाने गए हैं?	यदि आवेदक 'हाँ' का चयन करता है, तो अन्य नाम के ब्यौरे देना अनिवार्य है । खंड सं. 1 में नाम के संबंध दिए गए अनुदेश यहाँ भी लागू होंगे । शीर्षक खंड सं. 1 में दिए गए शीर्षक के समान होना चाहिए ।																
4	क) जन्म / निगमन / करार की तारीख / व्यष्टियों के निकाय या व्यष्टियों के संगम के गठन की तारीख / स्थापना की तारीख	यहाँ दी जाने वाली तारीख भविष्य की कोई तारीख नहीं हो सकती । तारीख: 2 अगस्त 1975 को इस प्रकार लिखा जाए : तारीख लिखे जाने का प्रारूप - दिन (DD) / महीना (MM) / वर्ष (YYYY) (अनिवार्य खंड) <table><tr><td>D</td><td>D</td><td>M</td><td>M</td><td>Y</td><td>Y</td><td>Y</td><td>Y</td></tr><tr><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>8</td><td>1</td><td>9</td><td>7</td><td>5</td></tr></table> आवेदकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए संबद्ध तारीख निम्नानुसार होगी : व्यक्ति (व्यष्टि): जन्म की वास्तविक तारीख; कंपनी: निगमन की तारीख; व्यष्टियों का संगम: गठन / बनाए जाने की तारीख; न्यास: न्यास विलेख बनाए जाने की तारीख; भागीदारी फर्म: भागीदारी विलेख की तारीख; एलएलपी: निगमन/रजिस्ट्रीकरण की तारीख; एचयूएफ: एचयूएफ बनाए जाने की तारीख और पैतृक एचयूएफ के लिए, जहाँ एचयूएफ बनाए जाने की तारीख उपलब्ध न हो, तारीख 01-01-0001 हो सकती है ।	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y	0	2	0	8	1	9	7	5
D	D	M	M	Y	Y	Y	Y											
0	2	0	8	1	9	7	5											
	ख) कारबार शुरू करने की तारीख	केवल गैर-व्यष्टियों के लिए लागू । यहाँ दी जाने वाली तारीख भविष्य की कोई तारीख नहीं हो सकती । तारीख: 2 अगस्त 1975 को इस प्रकार लिखा जाए : तारीख लिखे जाने का प्रारूप - दिन (DD) / महीना (MM) / वर्ष (YYYY) (अनिवार्य खंड) <table><tr><td>D</td><td>D</td><td>M</td><td>M</td><td>Y</td><td>Y</td><td>Y</td><td>Y</td></tr><tr><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>8</td><td>1</td><td>9</td><td>7</td><td>5</td></tr></table>	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y	0	2	0	8	1	9	7	5
D	D	M	M	Y	Y	Y	Y											
0	2	0	8	1	9	7	5											

5	जन्म / निगमन / स्थापना / गठन का स्थान और देश	यह खंड आवेदकों की सभी श्रेणियों के लिए अनिवार्य है।
6क	विधिक एंटीटी पहचानकर्ता सं.	आवेदक विधिक एंटीटी पहचानकर्ता सं. बताएगा, यदि लागू हो।
6ख	कर अधिवासिता प्रमाणपत्र के ब्यौरे	आवेदक कर अधिवासिता प्रमाणपत्र सं. और कर अधिवासिता देश बताएगा। आवेदक अनेक कर अधिवासिता के ब्यौरे देगा, यदि लागू हों।
7क एवं 7ख	आवास का पता / रजिस्ट्रीकृत और कार्यालय का पता	<p>R - आवासीय पता :</p> <p>व्यक्तियों (व्यष्टियों), एचयूएफ, एओपी, बीओआई या एजेपी के लिए, आवासीय पता देना अनिवार्य है। अन्य आवेदक अपने रजिस्ट्रीकृत पते का उल्लेख करें।</p> <p>O - कार्यालय का पता:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) यदि व्यक्ति (व्यष्टि) की आय का स्रोत वेतन या कारबार/व्यवसाय है, तो कार्यालय का नाम और पता [खंड सं. 9] 2) फर्म, एलएलपी, कंपनी, स्थानीय प्राधिकरण और न्यास के मामले में कार्यालय का नाम और पूरा पता दिया जाना अनिवार्य है। <p>आवेदकों की सभी श्रेणियों के लिए, पूरे पते का उल्लेख करना तथा कस्बे/शहर/जिले, राज्य/संघ शासित प्रदेश के ब्यौरे देना तथा पिनकोड देना अनिवार्य है।</p> <p>यदि, विदेश का पता दिया जाए तो यह अनिवार्य है कि देश के नाम के साथ-साथ उसका जिप कोड भी दिया जाए।</p>
7ग	पत्र-व्यवहार के लिए पता	<p>पत्र-व्यवहार के लिए, व्यक्ति (व्यष्टि)/एचयूएफ/एओपी/बीओआई/एजेपी या तो 'आवास' या 'कार्यालय' का पता दे सकते हैं और अन्य आवेदकों के लिए यह आवश्यक है कि वे 'कार्यालय' का पता ही दें।</p> <p>सभी पत्र-व्यवहार इस खंड में दिए गए पते पर ही किए जाएंगे।</p>

7घ	संपर्क संबंधी व्यौरे	<p>1) दूरभाष संख्या में देश का कोड (आईएसडी कोड) और एसटीडी कोड भी दिया जाए और मोबाइल नं. में देश का कोड (आईएसडी कोड) भी दिया जाए। उदाहरण के लिए:</p> <p>(i) दिल्ली की दूरभाष संख्या (23555705) को इस प्रकार लिखा जाए :</p> <div><div>देश कोड</div><div><div>+</div><div>9</div><div>1</div></div></div> <div><div>एसटीडी कोड</div><div><div></div><div>1</div><div>1</div></div></div> <div><div>दूरभाष संख्या</div><div><div>2</div><div>3</div><div>5</div><div>5</div><div>5</div><div>7</div><div>0</div><div>5</div></div></div> <p>यहाँ '91' भारत का देश कोड है और '11' दिल्ली का एसटीडी कोड है।</p>
		<p>(ii) भारत के मोबाइल नं. 9102511111 को इस प्रकार लिखा जाए</p> <div><div>देश कोड</div><div><div>+</div><div>9</div><div>1</div></div></div> <div><div>मोबाइल नंबर</div><div><div>9</div><div>1</div><div>0</div><div>2</div><div>5</div><div>1</div><div>1</div><div>1</div><div>1</div><div>1</div></div></div> <p>यहाँ '91' भारत का देश कोड है</p> <p>2) सभी आवेदकों के लिए अपनी "दूरभाष संख्या" या वैध "ई-मेल आईडी" का उल्लेख करना अनिवार्य है, ताकि आवेदन में किसी प्रकार की विसंगति के लिए और/या ई-मेल के माध्यम से पैन प्राप्त करने लिए उनसे संपर्क किया जा सके।</p> <p>3) आवेदन फॉर्म में दिए गए मोबाइल नंबर पर ही एसएमएस सुविधा के माध्यम से आवेदन की स्थिति के संबंध में जानकारी भेजी जाएगी।</p> <p>4) सभी प्रकार का पत्र-व्यवहार दिए गए मोबाइल नं. / ई-मेल आईडी पर ही किया जाएगा।</p> <p>5) फैक्स नंबर दिया जाना वैकल्पिक है।</p>
8	अंतिम हिताधिकारी स्वामी (अंतिम प्रकृत व्यक्ति) के संबंध में जानकारी	<p>कृपया अंतिम हिताधिकारी स्वामी (बेनिफिशियल ओनर / लाभार्थी) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करें, जैसी लागू हो। अंतिम हिताधिकारी स्वामी (बेनिफिशियल ओनर) का निर्धारण भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा समय-समय पर एएमएल / सीएफटी एवं केवाईसी के संबंध में जारी परिपत्रों के अनुसार किया जाए। जिस प्रकृत व्यक्ति को अंतिम हिताधिकारी स्वामी (बेनिफिशियल ओनर) के रूप में निर्धारित किया गया हो, वह व्यक्ति कोई कानूनी प्रतिनिधि, जैसे नामिती, कानूनी काउंसेल/अटर्नी, न्यासी, अकाउंटेंट, प्रशासक, आदि न हो। 'नियंत्रण' का अर्थ वही होगा, जैसा धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 [प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग (मेंटनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स) रूल्स, 2005] (समय-समय पर यथा-संशोधित) के नियम 9(3) में परिभाषित किया गया है। यदि अंतिम हिताधिकारी स्वामी (बेनिफिशियल ओनर) के पास भारत का पैन (स्थानीय कर आईडी) हो, तो बीओ सारणी के अंतिम कॉलम में उसके व्यौरे दिए जाने हैं।</p>

		<p>'अंतिम हिताधिकारी स्वामी की धारिता' की सूची (नीचे दिए गए बॉक्स में से चुनें)</p> <p>1) 10%</p> <p>2) 15%</p> <p>3) 25%</p> <p>4) अन्य, यदि अन्य हो तो कृपया उल्लेख करें _____</p> <p>कॉलम सं. 8 में दिए जाने वाले अपेक्षित व्यौरों से प्रवर्ग-I के आवेदकों के साथ-साथ प्रवर्ग-II के ऐसे आवेदकों को छूट प्रदान की गई है जो उप-प्रवर्ग (5)(ख)(i), अर्थात् 'समुचित रूप से विनियमित निधियाँ (रेग्युलेटिड फंड्स), जो प्रवर्ग-I की विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के रूप में पात्र न हों' के तहत आवेदक हैं।</p>																																												
9	आय के व्यौरे	<p>फॉर्म में आय का कम से कम एक स्रोत दर्शाना अनिवार्य है।</p> <p>'आय का स्रोत'</p> <p>1) वेतन</p> <p>2) पूँजीगत अभिलाभ</p> <p>3) कारबार/व्यवसाय से आय</p> <p>4) कोई आय नहीं</p> <p>5) अन्य स्रोतों से आय</p> <p>6) गृह संपत्ति से आय</p> <p>यदि आवेदक 'कारबार/व्यवसाय से आय' चुनता है, तो उपयुक्त कारबार/व्यवसाय कोड का उल्लेख किया जाना है।</p> <table><tr><th>कोड</th><th>कारबार / व्यवसाय</th><th>कोड</th><th>कारबार / व्यवसाय</th></tr><tr><td>01</td><td>चिकित्सा संबंधी व्यवसाय और कारबार</td><td>11</td><td>फिल्म, टी.वी. और अन्य मनोरंजन के साधन</td></tr><tr><td>02</td><td>इंजीनियरिंग</td><td>12</td><td>सूचना प्रौद्योगिकी</td></tr><tr><td>03</td><td>वास्तुकला</td><td>13</td><td>बिल्डर्स एवं डेवलपर्स</td></tr><tr><td>04</td><td>चार्टर्ड अकाउंटेंट / अकाउंटेंसी</td><td>14</td><td>स्टॉक एक्सचेंजों के सदस्य, शेयर दलाल और उप-दलाल</td></tr><tr><td>05</td><td>इंटीरियर डेकोरेशन</td><td>15</td><td>प्रदर्शन कलाएँ (प्रफॉर्मिंग आर्ट्स)</td></tr><tr><td>06</td><td>तकनीकी परामर्श कार्य</td><td>16</td><td>जहाजों, होवरक्रॉफ्ट, एयरक्रॉफ्ट या हेलिकॉप्टर का संचालन</td></tr><tr><td>07</td><td>कंपनी सचिव</td><td>17</td><td>टैक्सी, लॉरी, ट्रक, बसें या अन्य वाणिज्यिक वाहन चलाना</td></tr><tr><td>08</td><td>विधि व्यवसायी और सालिसिटर्स</td><td>18</td><td>घोड़ों का स्वामित्व या जाँकी</td></tr><tr><td>09</td><td>सरकारी ठेकेदार</td><td>19</td><td>सिनेमा हॉल या अन्य थियेटर</td></tr><tr><td>10</td><td>बीमा एजेंट</td><td>20</td><td>अन्य</td></tr></table>	कोड	कारबार / व्यवसाय	कोड	कारबार / व्यवसाय	01	चिकित्सा संबंधी व्यवसाय और कारबार	11	फिल्म, टी.वी. और अन्य मनोरंजन के साधन	02	इंजीनियरिंग	12	सूचना प्रौद्योगिकी	03	वास्तुकला	13	बिल्डर्स एवं डेवलपर्स	04	चार्टर्ड अकाउंटेंट / अकाउंटेंसी	14	स्टॉक एक्सचेंजों के सदस्य, शेयर दलाल और उप-दलाल	05	इंटीरियर डेकोरेशन	15	प्रदर्शन कलाएँ (प्रफॉर्मिंग आर्ट्स)	06	तकनीकी परामर्श कार्य	16	जहाजों, होवरक्रॉफ्ट, एयरक्रॉफ्ट या हेलिकॉप्टर का संचालन	07	कंपनी सचिव	17	टैक्सी, लॉरी, ट्रक, बसें या अन्य वाणिज्यिक वाहन चलाना	08	विधि व्यवसायी और सालिसिटर्स	18	घोड़ों का स्वामित्व या जाँकी	09	सरकारी ठेकेदार	19	सिनेमा हॉल या अन्य थियेटर	10	बीमा एजेंट	20	अन्य
कोड	कारबार / व्यवसाय	कोड	कारबार / व्यवसाय																																											
01	चिकित्सा संबंधी व्यवसाय और कारबार	11	फिल्म, टी.वी. और अन्य मनोरंजन के साधन																																											
02	इंजीनियरिंग	12	सूचना प्रौद्योगिकी																																											
03	वास्तुकला	13	बिल्डर्स एवं डेवलपर्स																																											
04	चार्टर्ड अकाउंटेंट / अकाउंटेंसी	14	स्टॉक एक्सचेंजों के सदस्य, शेयर दलाल और उप-दलाल																																											
05	इंटीरियर डेकोरेशन	15	प्रदर्शन कलाएँ (प्रफॉर्मिंग आर्ट्स)																																											
06	तकनीकी परामर्श कार्य	16	जहाजों, होवरक्रॉफ्ट, एयरक्रॉफ्ट या हेलिकॉप्टर का संचालन																																											
07	कंपनी सचिव	17	टैक्सी, लॉरी, ट्रक, बसें या अन्य वाणिज्यिक वाहन चलाना																																											
08	विधि व्यवसायी और सालिसिटर्स	18	घोड़ों का स्वामित्व या जाँकी																																											
09	सरकारी ठेकेदार	19	सिनेमा हॉल या अन्य थियेटर																																											
10	बीमा एजेंट	20	अन्य																																											

10	व्यवसाय के ब्यौरे	<p>यह खंड आवेदकों की सभी श्रेणियों के लिए अनिवार्य है।</p> <p>'व्यवसाय के ब्यौरे' संबंधी सूची</p> <p>व्यक्तियों (व्यष्टियों) के लिए (नीचे दिए गए बॉक्स में से चुनें)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) सेवा - निजी क्षेत्र 2) सेवा - सार्वजनिक क्षेत्र 3) सेवा - सरकारी सेवा 4) कारबार 5) व्यवसायी 6) कृषक 7) सेवानिवृत्त 8) गृहिणी 9) छात्र 10) अन्य <p>गैर-व्यक्तियों (व्यष्टियों) के लिए (नीचे दिए गए बॉक्स में से चुनें)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) निजी कंपनी (R) 2) सार्वजनिक कंपनी (U) 3) निगमित निकाय (D) 4) वित्तीय संस्था (S) 5) गैर-सरकारी संगठन (N) 6) धर्मार्थ संगठन (C)
11	केवाईसी हेतु पहचान के सबूत और पते के सबूत के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज	<p>'पहचान के सबूत' संबंधी दस्तावेजों की सूची (नीचे दिए गए बॉक्स में से चुनें) –</p> <p><u>व्यक्तियों (व्यष्टियों) के लिए</u></p> <p>A- पासपोर्ट संख्या, कृपया पासपोर्ट समाप्त होने की तारीख का उल्लेख करें: <u> / / </u></p> <p>B- मतदाता पहचानपत्र</p> <p>C- पैन कार्ड (जिस पर फोटो लगी हो)</p> <p>D- ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, कृपया ड्राइविंग लाइसेंस समाप्त होने की तारीख का उल्लेख करें: <u> / / </u></p> <p>F- नरेगा जॉब कार्ड</p> <p>Z- अन्य (केंद्र / राज्य सरकार और उनके किसी विभाग, सांविधिक / विनियामक प्राधिकरणों, कर प्राधिकरणों द्वारा अधिसूचित किया गया कोई दस्तावेज, पहचान संख्या <u> </u></p>

गैर-व्यक्तियों (व्यष्टियों) के लिए

- 1) निगमन / गठन संबंधी प्रमाणपत्र
- 2) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र
- 3) संगम-ज्ञापन और संगम-अनुच्छेद / भागीदारी विलेख / न्यास विलेख / प्रॉस्पेक्ट्स/प्रस्ताव ज्ञापन (ऑफरिंग मेमोरेण्डम) या समतुल्य दस्तावेज

'पहचान के सबूत' संबंधी खंड भरे जाने के लिए स्पष्टीकरण / दिशानिर्देश

1. यदि पहचान के सबूत के तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट दिया गया हो, तो उनकी समाप्ति की तारीख देना अनिवार्य है।
2. यदि 'Z- अन्य (केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया कोई दस्तावेज)' चुना गया हो, तो उस दस्तावेज की पहचान / संदर्भ संख्या का उल्लेख करें।
3. पहचान के सबूत के तौर पर दिए गए किसी एक दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों की प्रतियों को स्व-प्रमाणित किया जाए और सत्यापन के समय मूल दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएँ या प्रतियों को उन एंटिटियों से अनुप्रमाणित कराया जाए जो इस निमित्त प्राधिकृत हों।
5. यदि पहचान का कोई सबूत विदेशी भाषा में हो, तो उसका अंग्रेजी में अनुवाद अपेक्षित है।

'पते के सबूत' संबंधी दस्तावेजों की सूची (नीचे दिए गए बॉक्स में से चुनें) –**व्यक्तियों (व्यष्टियों) के लिए**

- 1) पासपोर्ट
- 2) ड्राइविंग लाइसेंस
- 3) मतदाता पहचानपत्र
- 4) नरेगा जॉब कार्ड
- 5) अन्य (केंद्र / राज्य सरकार और उनके किसी विभाग, सांविधिक / विनियामक प्राधिकरणों, कर प्राधिकरणों द्वारा अधिसूचित किया गया कोई दस्तावेज, पहचान संख्या _____)

गैर-व्यक्तियों (व्यष्टियों) के लिए

- 1) निगमन / गठन संबंधी प्रमाणपत्र
- 2) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र

		<p>3) प्रवर्ग-1 और प्रवर्ग-2 एफपीआई: एफपीआई द्वारा अभिरक्षक (कस्टोडियन) को दिया जाने वाला मुख्तारनामा (पावर ऑफ अटर्नी) (जो विधिवत् रूप से नोटरी और/या अपोसिल या कॉन्सुल किया गया हो), जिसमें एफपीआई के रजिस्ट्रीकृत पते का उल्लेख हो</p> <p>4) किसी सेवा प्रदाता के बिल, जो दो महीने से ज्यादा पुराने न हों, (जैसे लैंडलाइन टेलीफोन या बिजली का बिल);</p> <p>5) बैंक खाते के विवरण, जो 3 महीने से ज्यादा पुराने न हों</p> <p>केंद्र / राज्य सरकार और उनके किसी विभाग, सांविधिक / विनियामक प्राधिकरणों, कर प्राधिकरणों द्वारा जारी दस्तावेज, जिन पर पता लिखा हो।</p> <p>'पते के सबूत' संबंधी खंड भरे जाने के लिए स्पष्टीकरण / दिशानिर्देश</p> <p>1. पते के सबूत के तौर पर दिए गए किसी एक दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत की जाए।</p> <p>i. आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों की प्रतियों को स्व-प्रमाणित किया जाए और सत्यापन के समय मूल दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएँ या</p> <p>ii. प्रतियों को उन एंटीटियों से अनुप्रमाणित कराया जाए जो इस निमित्त प्राधिकृत हों</p> <p>2. पते का सबूत केवल तब दिया जाना है, जब पहचान के सबूत में पता न हो या पहचान के सबूत में दिया गया पता अमान्य हो या बदल गया हो।</p> <p>3. केवाईसी फॉर्म में दिया गया आवेदक का नाम और पता, सबूत के तौर पर दिए गए दस्तावेज से मेल खाना चाहिए।</p> <p>4. यदि पत्र-व्यवहार का पता और स्थायी पता अलग-अलग हो, तो दोनों के सबूत दिए जाएँ।</p> <p>5. यदि पते का कोई सबूत विदेशी भाषा में हो, तो उसका अंग्रेजी में अनुवाद अपेक्षित है।</p>
12	राजनीतिक जोखिम वाले व्यक्ति	<p>राजनीतिक जोखिम वाले व्यक्ति (पीईपी) ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें विदेश में राजकीय कार्य सौंपे गये हों, जैसे, राज्यों या सरकारों के प्रमुख, वरिष्ठ राजनेता, वरिष्ठ सरकारी / न्यायिक / सैन्य अधिकारी, राज्य के स्वामित्व वाले कारपोरेशन के वरिष्ठ अधिकारी, महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी, आदि।</p>
13	आवेदक की श्रेणी	<p>एफपीआई के लिए 'श्रेणी का प्रकार' की सूची (नीचे दिए गए बॉक्स में से चुनें)</p> <p>1) प्रवर्ग- I</p> <p>2) प्रवर्ग- II</p> <p>'एफपीआई के उप-प्रवर्ग के नाम' की सूची (नीचे दिए गए बॉक्स में से चुनें)</p> <p>(क) "प्रवर्ग-I का विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक" जिसमें शामिल हैं -</p>

- (i) सरकार और सरकार से संबंधित निवेशक जैसे केन्द्रीय बैंक, राष्ट्रिक धन निधियाँ (सॉवरिन वेल्थ फंड्स), अंतरराष्ट्रीय या बहुपक्षीय संगठन या एजेंसियाँ, जिनमें वे एंटिटियाँ भी शामिल हैं जिनका नियंत्रण या, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, कम से कम 75% स्वामित्व ऐसी सरकार और सरकार से संबंधित निवेशक (निवेशकों) के पास हो;
- (ii) पेंशन निधियाँ और विश्वविद्यालय निधियाँ (यूनिवर्सिटी फंड);
- (iii) समुचित रूप से विनियमित (रेग्युलेटिड) एंटिटियाँ, जैसे बीमा या पुनर्बीमा एंटिटियाँ, बैंक, आस्ति प्रबंध कंपनियाँ (असेट मैनेजमेंट कंपनी), निवेश प्रबंधक (इन्वेस्टमेंट मैनेजर), निवेश सलाहकार (इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र), पोर्टफोलियो प्रबंधक (पोर्टफोलियो मैनेजर), ब्रोकर डीलर और स्वैप डीलर;
- (iv) ऐसी एंटिटियाँ जो वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स) के सदस्य देशों से हों, जो -
- I. समुचित रूप से विनियमित निधियाँ (रेग्युलेटिड फंड्स) हों;
 - II. अविनियमित निधियाँ (अनरेग्युलेटिड फंड्स) हों, जिनका निवेश प्रबंधक (इन्वेस्टमेंट मैनेजर) समुचित रूप से विनियमित हो और प्रवर्ग-I के विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के रूप में रजिस्ट्रीकृत हो:
परंतु यह कि ऐसी अविनियमित निधि द्वारा जो कुछ भी किया जाए या जो कुछ न किया जाए, उसकी जिम्मेदारी निवेश प्रबंधक की रहेगी;
 - III. ऐसे विश्वविद्यालयों के विश्वविद्यालय से संबंधित विन्यास (एन्डाउमेंट), जो पाँच वर्षों से ज्यादा पुराने हों;
- (v) ऐसी एंटिटी (क) जिसका निवेश प्रबंधक वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स) के सदस्य देश से हो और ऐसा निवेश प्रबंधक प्रवर्ग-I के विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के रूप में रजिस्ट्रीकृत हो; या (ख) जिसका, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, कम से कम पचहत्तर प्रतिशत स्वामित्व (ओनरशिप) ऐसी अन्य एंटिटी के पास हो, जो इस विनियम के खंड (क) के उप-खंड (ii), (iii) एवं (iv) के तहत पात्र हो और ऐसी पात्र एंटिटी वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स) के सदस्य देश से हो:
परंतु यह कि इस उप-खंड के तहत रजिस्ट्रीकरण की मांग करने वाले आवेदकों द्वारा जो कुछ भी किया जाए या जो कुछ न किया जाए, उसकी जिम्मेदारी ऐसे निवेश प्रबंधक या ऐसी पात्र एंटिटी की रहेगी।
- (ख) “प्रवर्ग-II के विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक” में वे सभी निवेशक शामिल होंगे, जो प्रवर्ग-I के विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के रूप में पात्र न हों, जैसे-
- (i) समुचित रूप से विनियमित निधियाँ (रेग्युलेटिड फंड्स), जो प्रवर्ग-I के विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के रूप में पात्र न हों;

		<p>(ii) विन्यास (एन्डाउमेंट) एवं प्रतिष्ठान (फाउंडेशन);</p> <p>(iii) पूर्त संगठन (चैरिटेबल ऑर्गनाइज़ेशन);</p> <p>(iv) निगमित निकाय (कारपोरेट बॉडी);</p> <p>(v) कौटुंबिक कार्यालय (फैमिली ऑफिस);</p> <p>(vi) व्यक्ति;</p> <p>(vii) समुचित रूप से विनियमित एंटिटियाँ, जो अपने ग्राहक (क्लाइंट) की ओर से, बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली शर्तों के अनुसार, निवेश करती हों;</p> <p>(viii) अविनियमित निधियाँ (अनरेग्युलेटेड फंड्स), जो सीमित भागीदारी (लिमिटेड पार्टनरशिप), न्यास (ट्रस्ट), आदि के रूप में हों;</p> <p>स्पष्टीकरण: अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र (इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज़ सेंटर) में निगमित या स्थापित आवेदक को समुचित रूप से विनियमित समझा जाएगा।</p> <p>यदि निवेश प्रबंधक प्रवर्ग-I के तहत रजिस्ट्रीकृत होना चाहता हो, तो यह स्पष्ट किया जाए कि वह निवेश करने वाली एंटिटी है या नहीं।</p>
15	एफपीआई के निवेश प्रबंधक के ब्यौरे	एफपीआई से अपेक्षित है कि वे अपने निवेश प्रबंधक के ब्यौरे दें, जहाँ लागू हो
16	क्या आवेदक ने वैध स्व-प्रमाणन / एफएटीसीए / सीआरएस घोषणा दी है	विदेशी एंटिटी बिना वैध स्व-प्रमाणन / एफएटीसीए / सीआरएस घोषणा फॉर्म के भारत में एफपीआई के रूप में रजिस्ट्रीकृत नहीं हो सकती (निवेश न करने वाले एफपीआई के लिए अनिवार्य नहीं)
17	अनुपालन अधिकारी के संबंध में जानकारी	यह खंड गैर-व्यष्टियों (व्यक्तियों) के लिए लागू है
24	क्या आवेदक के पास पहले	<p>'क्या आवेदक के पास पहले से ही पैन है' से संबंधित सूची (नीचे दिए गए बॉक्स में से चुनें)</p> <p>1) हाँ</p>

	से ही पै न है	<p>2) नहीं</p> <p>यदि "नहीं" चुना गया है, तो कृपया क्रम सं. 25 से 29 में उल्लेख करें।</p>
25	आवेदक की स्थिति	<p>यह खंड आवेदकों की सभी श्रेणियों के लिए अनिवार्य है। 'सीमित दायित्व भागीदारी' के मामले में, 'फर्म' के तौर पर पै न दिया जाएगा।</p> <p>'आवेदक की स्थिति' से संबंधित सूची (नीचे दिए गए बॉक्स में से चुनें)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) व्यक्ति (व्यष्टि) 2) हिन्दू अविभक्त कुटुंब 3) कंपनी 4) भागीदारी फर्म 5) सरकार 6) न्यास 7) व्यक्तियों (व्यष्टियों) का निकाय 8) स्थानीय प्राधिकरण 9) कृत्रिम विधिक व्यक्ति (आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशियल पर्सन) 10) व्यक्तियों का संगम 11) सीमित दायित्व भागीदारी
27	रजिस्ट्रीकरण संख्या	<p>व्यक्तियों (व्यष्टियों) और एचयूएफ के लिए लागू नहीं। 'कंपनी' के लिए अनिवार्य है। कंपनी को कंपनी रजिस्ट्रार या उनके देश के संबद्ध सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी की गई रजिस्ट्रीकरण संख्या का उल्लेख करना चाहिए।</p>
28	प्रतिनिधि निर्धारिती का नाम और पता	<p>आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 160 में यह प्रावधान है कि किसी 'विनिर्दिष्ट व्यक्ति' (निर्धारिती) का प्रतिनिधित्व प्रतिनिधि निर्धारिती के माध्यम से किया जा सकता है। इसलिए, यह कॉलम आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 160 में निर्धारित प्रतिनिधि निर्धारिती [जैसे अनिवासी का अभिकर्ता (एजेंट), अवयस्क, पागल या जड़मति का संरक्षक या प्रबंधक, प्रतिपाल्य अधिकरण, महाप्रशासक, शासकीय न्यासी, रिसीवर, प्रबंधक, न्यास (जिसमें वक्फ भी शामिल है) का न्यासी] द्वारा भरा जाना है।</p> <p>इस खंड में प्रतिनिधि निर्धारिती के विवरण होंगे। यदि आवेदक अवयस्क, मृतक, जड़मति, पागल या मानसिक रूप से मंद हो, तो यह खंड अनिवार्य है। उस व्यक्ति के व्यौरे भी दिए जाएंगे, जिसकी ओर से आवेदन किया गया हो।</p> <p>प्रतिनिधि निर्धारिती के लिए भी पहचान का सबूत और पते का सबूत दिया जाना अपेक्षित है।</p>
31	पै न के लिए पहचान के सबूत तथा पते के सबूत	<p>पै न आवेदन के साथ पहचान के सबूत तथा पते के सबूत लगाना अनिवार्य है। दस्तावेज आवेदक के नाम से ही होने चाहिए। आवेदक की प्रत्येक स्थिति के लिए पहचान के सबूत तथा पते के सबूत के तौर पर प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची नीचे दी गई है :</p>

के तौर पर
प्रस्तुत किए
जाने वाले
दस्तावेज

आयकर नियम, 1962 के नियम 114(4) के अनुसार पहचान के सबूत तथा पते के सबूत के तौर पर स्वीकार किए जाने वाले दस्तावेज

व्यक्तियों (व्यष्टियों) और एचयूएफ के लिए

पहचान का सबूत (प्रति)	पते का सबूत (प्रति)
1. पासपोर्ट की प्रति, या	1. पासपोर्ट की प्रति, या
2. भारत सरकार द्वारा जारी भारतीय मूल के व्यक्ति कार्ड की प्रति, या	2. भारत सरकार द्वारा जारी भारतीय मूल के व्यक्ति कार्ड की प्रति, या
3. भारत सरकार द्वारा जारी विदेशी भारतीय कार्ड की प्रति, या	3. भारत सरकार द्वारा जारी विदेशी भारतीय कार्ड की प्रति, या
4. अन्य राष्ट्रिक या नागरिकता पहचान संख्या या करदाता पहचान संख्या की प्रति, जो "अपोसिल" (उन देशों के संबंध में जो हेग कन्वेंशन, 1961 के हस्ताक्षरकर्ता हैं) द्वारा या उस देश में स्थित भारतीय दूतावास या उच्चायुक्त या कंसुलेट या भारत में रजिस्ट्रीकृत अनुसूचित बैंकों की विदेशी शाखाओं के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा विधिवत् रूप से सत्यापित हो, जिस देश में आवेदक का ठिकाना है।	4. अन्य राष्ट्रिक या नागरिकता पहचान संख्या या करदाता पहचान संख्या की प्रति, जो "अपोसिल" (उन देशों के संबंध में जो हेग कन्वेंशन, 1961 के हस्ताक्षरकर्ता हैं) द्वारा या उस देश में स्थित भारतीय दूतावास या उच्चायुक्त या कंसुलेट या भारत में रजिस्ट्रीकृत अनुसूचित बैंकों की विदेशी शाखाओं के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा विधिवत् रूप से सत्यापित हो, जिस देश में आवेदक का ठिकाना है, या
	5. निवास के देश में बैंक खाता विवरणी की प्रति, या
	6. भारत में अनिवासी बाह्य बैंक खाता विवरणी की प्रति, या
	7. भारत में निवास के प्रमाणपत्र या राज्य पुलिस प्राधिकारी द्वारा जारी निवासी परमिट की प्रति, या
	8. विदेशी रजिस्ट्रीकरण कार्यालय द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र (भारतीय पता दर्शाते हुए) की प्रति, या
	9. प्रदान किए गए बीजा की प्रति और भारतीय कंपनी की ओर से नियुक्ति पत्र या संविदा की प्रति तथा नियोक्ता द्वारा जारी भारतीय पते का प्रमाणपत्र (मूल प्रति)।

		<p>व्यक्तियों (व्यष्टियों) से भिन्न के लिए</p> <div> <div> <p>1. उस देश में जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति, जिस देश में आवेदक का ठिकाना हो, जो "अपोसिल" (उन देशों के संबंध में जो हेग कन्वेंशन, 1961 के हस्ताक्षरकर्ता हैं) द्वारा या उस देश में स्थित भारतीय दूतावास या उच्चायुक्त या कंसुलेट या भारत में रजिस्ट्रीकृत अनुसूचित बैंकों की विदेशी शाखाओं के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा विधिवत् रूप से सत्यापित हो, जिस देश में आवेदक का ठिकाना हो, या</p> <p>2. भारत में जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या भारतीय प्राधिकारियों द्वारा भारत में कार्यालय स्थापित करने के लिए प्रदत्त अनुमोदन की प्रति।</p> </div> <div> <p>1. उस देश में जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति, जिस देश में आवेदक का ठिकाना हो, जो "अपोसिल" (उन देशों के संबंध में जो हेग कन्वेंशन, 1961 के हस्ताक्षरकर्ता हैं) द्वारा या उस देश में स्थित भारतीय दूतावास या उच्चायुक्त या कंसुलेट या भारत में रजिस्ट्रीकृत अनुसूचित बैंकों की विदेशी शाखाओं के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा विधिवत् रूप से सत्यापित हो, जिस देश में आवेदक का ठिकाना हो, या</p> <p>2. भारत में जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या भारतीय प्राधिकारियों द्वारा भारत में कार्यालय स्थापित करने के लिए प्रदत्त अनुमोदन की प्रति।</p> </div> </div>
32	लिंग	<p>यह खंड व्यक्तियों (व्यष्टियों) के लिए अनिवार्य है।</p> <p>'लिंग' से संबंधित सूची (नीचे दिए गए बॉक्स में से चुनें)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) पुरुष 2) महिला 3) ट्रांसजेंडर (विपरीत लिंग)
33	वैवाहिक स्थिति	<p>यह खंड व्यक्तियों (व्यष्टियों) के लिए अनिवार्य है।</p> <p>'वैवाहिक स्थिति' से संबंधित सूची (नीचे दिए गए बॉक्स में से चुनें)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) अविवाहित 2) विवाहित 3) तलाकशुदा 4) विधवा/विधुर
34	नागरिकता की स्थिति	<p>यह खंड व्यक्तियों (व्यष्टियों) के लिए अनिवार्य है।</p> <p>'नागरिकता की स्थिति' से संबंधित सूची (नीचे दिए गए बॉक्स में से चुनें)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) विदेशी 2) भारतीय मूल का व्यक्ति 3) भारत का विदेशी नागरिक <p>एफपीआई आवेदकों के लिए, नागरिकता की स्थिति में केवल विदेशी ही लागू होगा।</p> <p>विदेशी के मामले में, कृपया नागरिकता के देश (जैसा लागू हो) का उल्लेख करें।</p>

35	माता-पिता के व्यौरे [केवल व्यक्तियों (व्यष्टियों) के लिए लागू]	<p>मद सं. 1 के संबंध में दिए गए अनुदेश यहाँ पर भी लागू होंगे।</p> <p>क्या माता एकल जनिता (सिंगल पेरेंट) है और क्या आप केवल अपनी माता का नाम देकर पैन हेतु आवेदन करना चाहते हैं?</p> <p>व्यक्तियों (व्यष्टियों) के लिए यह अनिवार्य है कि वे दिए गए विकल्प (अर्थात् 'हाँ' या 'नहीं') चुनें। यहाँ 'हाँ' को केवल तभी चुनें जब (i) माता एकल जनिता हो, और (ii) आप पैन के लिए आवेदन केवल माता का नाम देते हुए करना चाहते हैं। पिता का नाम खाली छोड़ दें।</p> <p>यदि 'नहीं' को चुना गया हो, तो पिता का नाम देना अनिवार्य है। ऐसे मामलों में, माता का नाम देना वैकल्पिक है।</p> <p>पिता का नाम: व्यक्तियों (व्यष्टियों) के लिए पिता का नाम देना अनिवार्य है (उस दशा को छोड़कर जहाँ माता एकल जनिता है)। विवाहित महिलाओं को भी पिता का नाम देना चाहिए न कि पति का नाम।</p> <p>माता का नाम: यह खंड वैकल्पिक है। माता का नाम दिया जाना अनिवार्य है यदि उपरोक्त खंड (अर्थात् क्या माता एकल जनिता (सिंगल पेरेंट) है और क्या आप केवल अपनी माता का नाम देकर पैन हेतु आवेदन करना चाहते हैं?) में 'हाँ' को चुना गया हो।</p> <p>नाम जैसा स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड पर मुद्रित कराना हो: नाम (जैसा पैन कार्ड पर मुद्रित कराना हो) के संबंध में उपयुक्त विकल्प (फॉर्म में दिए गए पिता के नाम और माता के नाम में से) को चुनें। यदि 'माता एकल जनिता (सिंगल पेरेंट) है, के संबंध में 'हाँ' विकल्प चुना गया है, तो पैन कार्ड पर मुद्रित कराने के लिए नाम में केवल माता का नाम ही चुना जाए।</p> <p>यदि किसी भी विकल्प का चयन नहीं किया जाता है, तो पैन कार्ड पर पिता का नाम मुद्रित कराया जाएगा। यदि माता एकल जनिता (सिंगल पेरेंट) है, तो पैन कार्ड पर माता का नाम मुद्रित कराया जाएगा।</p>
	हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान	<p>आवेदन पर (i) आवेदक; या (ii) एचयूएफ की दशा में कर्ता; या (iii) कंपनी के निदेशक; या (iv) एओपी, व्यक्तियों (व्यष्टियों) के निकाय, स्थानीय प्राधिकरण और कृत्रिम विधिक व्यक्ति (आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशियल पर्सन) की दशा में प्राधिकृत हस्ताक्षकर्ता, या (v) फर्म / सीमित दायित्व भागीदारी की दशा में भागीदार; या (vi) न्यासी; या (vii) अवयस्क/मृतक/जड़मति/पागल/ मानसिक रूप से मंद व्यक्ति की दशा में प्रतिनिधि निर्धारिती के हस्ताक्षर होने चाहिए।</p> <p>यदि बताए गए तरीके और आवेदन में दिए गए स्थान में हस्ताक्षर नहीं किए गए, तो उस आवेदन को नामंजूर किया जा सकता है।</p>

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2020

F. No. 4/15/2016-ECB.—In supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) No.4/15/2016-ECB, dated the 21st August, 2019, published in the Gazette of India, the Central Government hereby notifies the Common Application Form attached as Annexure 1 for the purpose of registration, opening of bank and demat accounts, and application for Permanent Account Number by Foreign Portfolio Investors (FPIs) in India.

ANAND MOHAN BAJAJ, Jt. Secy.

Signature of the Applicant

7) Address & Communication Details**a) Registered /Residence Address**

Flat/ Room/ Door/ Block No.

Name of Premises/Building/ village


Road/ Street/Lane/ Post Office

Area/ Locality/ Taluka/ Sub-Division

Town/ City/ District

State/Union Territory

Pin Code/ Zip Code

Country Name **b) Office Address**

Name of Office

Flat/ Room/ Door/ Block No.

Name of Premises/Building/ Village

Road/ Street/Lane/ Post Office

Area/ Locality/ Taluka/ Sub-Division

Town/ City/ District

State/ Union Territory

Pin Code/ Zip Code

Country Name **c) Address of Communication/Correspondence** ☐ Registered/Residence ☐ Office (Please tick as applicable)**d) Contact Details:**

Sr. No.	Particulars	Registered/Residence			Office		
		Country Code	Area/ STD Code	Number	Country Code	Area/ STD Code	Number
1	Telephone Number:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	Mobile Number:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	Fax Number:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4	Email ID:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5	Website:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

8) Information regarding Ultimate Beneficial Owner (End Natural Person)

- a) Individual Custodian/DDPs may seek additional documentation/ownership details at a lower threshold than prescribed, based on their independent evaluation and risk classification of the respective FPI applicants on the basis of multiple parameters such as home jurisdiction, type of entity, nature of business etc.
- ☐ We declare that there is no natural person/individual who are ultimately holding > % beneficial ownership directly/indirectly into the entity as well as on controlling basis for companies, Trust & General Partner / Limited Partnership structure. We therefore provide details of the senior managing official of the FPI as under.
- ☐ The list of beneficial owners as per materiality threshold for controlling ownership interest and / or on control basis is provided as under:

S. No	Name & Address of the Beneficial Owner (Natural Person)	Date of Birth	Tax Residency Jurisdiction	Nationality	Whether acting alone or together, or through one or more natural person as group with their name & address	BO Group Percentage Shareholding / Capital/Profit Ownership in the FPIs	Tax Residency Number/Social Security Number/Passport Number of BO/ any other Government issued identity document number (example Driving Licence) [Please provide any]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Signature of the Applicant _____

b) Does it have few persons or persons of the same family holding beneficial ownership and control?

☐ Yes

☐ No

9) Income details

a) Source of Income: **Code for Business / Profession**

b) Gross Annual Income (in INR): _____

Net worth (Asset less liabilities) (in INR): _____ as on: _____ (DD/MM/YYYY)

10) Occupation Details:

For Individuals

For Non – Individuals

11) Documents submitted as Proof of Identity (POI) and Proof of Address (POA) for KYC

Proof of Identity (POI)

Proof of Address (POA)

12) Whether the applicant or the applicant's authorized signatories/ Promoters/ Partners/ Trustees/ Whole Time Directors/Office bearer is

a) A politically exposed person

☐ Yes

☐ No

b) Related to a politically exposed person

☐ Yes

☐ No

Part B- FPI Registration Information

13) Category of Applicant

Classification of applicant (*please select the most appropriate category. Refer 'Instruction/ guidelines'*)

a) Type of category

Name of Sub- Category

b) Investing/ Non- Investing entity (only applicable for Investment Manager)

14) Whether the applicant is seeking registration under Multi Investment Manager(MIM) structure?

Yes ☐ No ☐

15) Details of Investment Manager of FPIs which are registered under regulation 5 (a) of SEBI (FPI)

Regulations, 2019 (as amended from time to time) or FPI seeking registration under MIM structure

Sr. No.	Name of Investment Manager	SEBI Registration No.

16) Whether the applicant has provided with valid self-certification/ FATCA/ CRS declaration form?

Yes ☐ Not Applicable ☐

17) Information pertaining to the compliance officer

Name	
Job Title	
Telephone No.	
E-mail ID	Fax No.

18) Details of Regulatory authority by which the applicant is regulated (If applicable)

Name	
Country	Web-site
Registration Number/ Code with Regulator, if any	
Category / Capacity in which the applicant is Regulated	

Signature of the Applicant _____

19) Whether the applicant is coming through Global Custodian? ☐ Yes ☐ No

If yes, please provide name of Global custodian	
Name of Regulator	
Registration Number/ code with regulator, if any	
Address	

20) Details of the designated depository participant, custodian of securities and designated AD Category I bank appointed**a) Name of the DDP/ Custodian of Securities / Depository Participant**

Name	SEBI Registration number	
------	--------------------------	--

b) Details of designated AD category I bank (approved by RBI)

Name of the Bank and Branch	
Address	

21) Disciplinary History

Whether there has been any instance of violation or non-adherence to the securities laws, code of ethics/conduct, code of business rules, for which the applicant or its parent/holding company or associate/or promoter/investment manager may have been subjected to criminal liability or suspended from carrying out its operations or the registration, has been revoked, temporarily or permanently or any regulatory actions that have resulted in temporary or permanent suspension of investment related operations in the applicant's home jurisdiction and has a bearing on obtaining FPI registration for investing in India?

☐ Yes ☐ No (If yes, please mention details briefly in below box. For more details, enclose Annexure)

22) Clubbing of Investment Limit

☐ We share common ownership, directly or indirectly, of more than fifty per cent or common control with other FPIs and are not exempt from regulation 22(4). Details of investor group are as below:

Sr. No.	Name of FPI/ ODI subscriber with whom the applicant shares, ownership of more than 50% or common control	If ODI subscriber, please mention the name of dealing FPI	Registration No. of FPI

☐ In case Clubbing of investment limits of FPIs having common control is not being done in case of public retail funds as referred in Regulation 22(4), please provide following details :

Sr.No.	Name of FPI	FPI Registration Number	Name of Common Controlling Person

23) Details of Prior association with Indian securities market

Whether the applicant was anytime associated with Indian securities market as FPI, FII, sub account, QFI or FVCI ? Yes ☐ No ☐

Name of the Entity	Registered/ associated as	SEBI Registration No. (if applicable)

Part C- Additional Information for obtaining PAN

24) Whether the applicant already holds PAN ☐ ☐ If Yes, please mention PAN: _____.

If No, then below mentioned fields will be applicable.

25) Status of Applicant ☐ ☐

26) Assessing Officer (AO code)

Area code	AO type	Range code	AO No.

Signature of the Applicant _____

36) Spouse Name

--

PART E: Depository & Bank Account Opening**37) Details To Be Obtained For Opening Depository Account****a) Authorisation**

☐ I/We hereby request Depository Participant viz., _____ (Name of the DP) to open Depository account in my/our name as mentioned in the application form.

OR

☐ I/We is/are non-investing FPI and do not wish to open Depository Account.

b) Mode of Operation for Sole/First Holder (in case of joint holdings, all the holders must sign) [applicable to Non-individuals]

<input type="checkbox"/> Any one single	
<input type="checkbox"/> Jointly by	
<input type="checkbox"/> As per resolution	
<input type="checkbox"/> Others (please specify)	

38) Bank Account Information:

☐ I/We hereby request to open Special Non Resident Rupee Account (SNRA) in my/our name.

OR

☐ I/We is/are non-investing FPI and do not wish to open Bank Account.

PART- F (Declaration & Undertaking)**Declaration and Undertaking**

I/We _____, the applicant, in the capacity of _____ do hereby declare that what is stated in the aforesaid application form (including the enclosed documents/annexures) is complete and true to the best of my/our information and belief. I/we undertake to inform you of any changes therein, immediately. In case any of the above information is found to be false or untrue or misleading or misrepresenting, I am/we are aware that I/we may be held liable for it. I/we hereby apply for registration as Foreign Portfolio Investor ("FPI") in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019, obtain Permanent Account Number (PAN) from Income Tax Department of India and open Depository Account & Bank Account (if applicable). Further, I/We have read and understood the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019, circulars issued thereunder, its operating guidelines, reply to frequently asked questions on FPI regime provided by SEBI and shall abide with any other terms and conditions specified by SEBI from time to time. I/We hereby declare that I/we fulfill the eligibility criteria under the FPI Regulations and I/we am/are eligible to register as a FPI. Further, I/we hereby declare that I/we do not hold PAN issued by Income Tax Department currently and shall be liable for penalty of Rs. 10,000/- as per provision of section 272(B) of Income Tax Act, 1961 for possession of more than one PAN.

Place _____ Date: _____

For and on behalf of applicant

Signature of Authorized Signatory	
Name	
Designation (not applicable to individual persons)	
Date	DD/MM/YYYY

Signature / Left Thumb Impression of Applicant (Inside the box)

Signature of the Applicant _____

FOR OFFICE USE ONLY

Name of Depository Participant			
Address of Depository Participant			
DP ID		Client ID	

Applicant Bank Account Information (To be captured in the depository system)

1)	Bank account type- Others - SNRA_____												
2)	Bank Account Number												
3)	Bank Name												
4)	Branch Address												
		City/town/ village			PIN Code								
		State			Country								
5)	MICR Code												

Documents Received Risk Category **IN PERSON VERIFICATION CARRIED OUT BY**Identity Verification: ☐ Done Date:

Emp. Name_____Emp. Code _____

Emp. Designation_____Emp. Branch _____

Signature

INSTITUTION DETAILS

Name _____

Code _____

(Institution Stamp)

INSTRUCTIONS FOR FILLING COMMON APPLICATION FORM (CAF)

- (a) Common Application Form (CAF) will be available for the FPI applicants on the website(s) of NSDL (www.nsdl.co.in) or (www.fpi.nsdl.co.in)
- (b) Form should be filled by the applicants in **Electronic mode** and legibly in BLOCK LETTERS.
- (c) Each box, wherever provided, should contain only one character (alphabet /number / punctuation sign) leaving a blank box after each word.
- (d) 'Individual' applicants should affix two recent colour photographs with white background (size 3.5 cm x 2.5 cm) in the space provided on the form. The photographs should not be stapled or clipped to the form. The clarity of image on PAN card will depend on the quality and clarity of photograph affixed on the form. Since this form is to be submitted in electronic mode, one photograph should be affixed electronically and another to be affixed in the box provided on the right side of the form .
- (e) Signature / Left hand thumb impression should be provided across the photo affixed on the left side of the form in such a manner that portion of signature/impression is on photo as well as on form.
- (f) Signature /Left hand thumb impression should be **within the box** provided on the right side of the form. The signature should not be on the photograph affixed on right side of the form. If there is any mark on this photograph such that it hinders the clear visibility of the face of the applicant, the application will not be accepted.
- (g) Thumb impression, if used, should be attested by a Notary Public or an authorized officer in respective country of residence under official seal and stamp.
- (h) AO code (Area Code, AO Type, Range Code and AO Number) of the Jurisdictional Assessing Officer must be filled up by the applicant. These details can be obtained from the Income Tax Office or PAN Centre or websites of PAN Service Providers on www.tin-nsdl.com and www.utiitsl.com.
- (i) Once the form is duly filled in by the applicant in electronic mode and supporting documents uploaded on the inter-face of NSDL, the same shall flow to the Designated Depository Participant (DDP) in electronic manner. The applicant shall thereafter have to take a print of the duly filled form. The duly filled printed form should be signed by applicant and be submitted in physical mode along with requisite documents in original to the Designated Depository Participant (DDP). Applicant should sign on each page of the Form before sending.
- (j) The applicant should submit the applicable fees for SEBI registration and issuance of PAN along with the form to concerned DDP in Dollar terms. The application without fees shall be rejected, The DDP shall thereafter transmit appropriate amount to SEBI (in Dollar terms) and Income Tax department (in INR).
- (k) The DDP shall upload the copy of SEBI registration certificate before the application electronically flows for issuance of PAN.
- (l) Once the PAN is generated, Custodian shall do the KYC. It is mandatory to provide KYC details in case of an application filled by a Foreign Portfolio Investor (FPI) as prescribed under the regulations issued by Securities & Exchange Board of India (SEBI). Please refer the guidelines issued by the SEBI & Prevention of Money Laundering Act for filling these details
- (m) Guidelines for filling the Common Application Form (CAF):

Field No.	Field Name	Guidelines for filling the form
1	Name of the applicant	<p>Please select appropriate title. (Mandatory field)</p> <p>Do not use abbreviations in the First and the Last name/Surname</p> <p>For example, RAVIKANT should be written as:</p>

		<p>First and Middle Name.</p> <p>For example, XYZ DATA CORPORATION (INDIA) PRIVATE LIMITED should be written as:</p> <table border="1" data-bbox="384 273 1515 552"> <tr> <td>Last Name/ Surname</td> <td>X</td><td>Y</td><td>Z</td><td></td><td>D</td><td>A</td><td>T</td><td>A</td><td></td><td>C</td><td>O</td><td>R</td><td>P</td><td>O</td><td>R</td><td>A</td><td>T</td><td>I</td><td>O</td><td>N</td><td></td><td>(</td><td>I</td><td>N</td><td>D</td> </tr> <tr> <td>First Name</td> <td>I</td><td>A</td><td>)</td><td></td><td>P</td><td>R</td><td>I</td><td>V</td><td>A</td><td>T</td><td>E</td><td></td><td>L</td><td>I</td><td>M</td><td>I</td><td>T</td><td>E</td><td>D</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Middle Name</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> <p>For example MANOJ MAFATLAL DAVE (HUF) should be written as:</p> <table border="1" data-bbox="384 600 1515 869"> <tr> <td>Last Name/ Sur name</td> <td>M</td><td>A</td><td>N</td><td>O</td><td>J</td><td></td><td>M</td><td>A</td><td>F</td><td>A</td><td>T</td><td>L</td><td>A</td><td>L</td><td></td><td>D</td><td>A</td><td>V</td><td>E</td><td></td><td>(</td><td>H</td><td>U</td><td>F</td><td>)</td> </tr> <tr> <td>First Name</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Middle Name</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> <p>In case of Company, the name should be provided without any abbreviations. For example, different variations of 'Private Limited' viz. Pvt Ltd, Private Ltd, Pvt Limited, P Ltd, P. Ltd., Ltd are not allowed. It should be 'Private Limited' only.</p> <p>In case of sole proprietorship concern, the proprietor should apply for PAN in his/her own name. Name should not be prefixed with any title such as Shri, Smt, Kumari, Dr., Major, M/s etc.</p>	Last Name/ Surname	X	Y	Z		D	A	T	A		C	O	R	P	O	R	A	T	I	O	N		(I	N	D	First Name	I	A)		P	R	I	V	A	T	E		L	I	M	I	T	E	D						Middle Name																									Last Name/ Sur name	M	A	N	O	J		M	A	F	A	T	L	A	L		D	A	V	E		(H	U	F)	First Name																									Middle Name																								
Last Name/ Surname	X	Y	Z		D	A	T	A		C	O	R	P	O	R	A	T	I	O	N		(I	N	D																																																																																																																																	
First Name	I	A)		P	R	I	V	A	T	E		L	I	M	I	T	E	D																																																																																																																																							
Middle Name																																																																																																																																																										
Last Name/ Sur name	M	A	N	O	J		M	A	F	A	T	L	A	L		D	A	V	E		(H	U	F)																																																																																																																																	
First Name																																																																																																																																																										
Middle Name																																																																																																																																																										
2	<p>Abbreviation of the full name to be printed on the PAN card</p>	<p>Individual applicants should provide full/ abbreviated name to be printed on the PAN card. Name, if abbreviated, should necessarily contain the last name. For example: SATYAM VENKAT M. K. RAO which is written in the Name field as</p> <table border="1" data-bbox="384 1226 1542 1478"> <tr> <td>Last Name/ Surname</td> <td>R</td><td>A</td><td>O</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>First Name</td> <td>S</td><td>A</td><td>T</td><td>Y</td><td>A</td><td>M</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Middle Name</td> <td>V</td><td>E</td><td>N</td><td>K</td><td>A</td><td>T</td><td></td><td>M</td><td></td><td>K</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> <p>Can be written as in 'Name to be printed on the PAN card' column as: SATYAM VENKAT M.K. RAO or S.V.M. K. RAO or SATYAM V. M. K. RAO</p> <p>For non-individual applicants, this should be same as last name field in field no. 1 above</p>	Last Name/ Surname	R	A	O																						First Name	S	A	T	Y	A	M																			Middle Name	V	E	N	K	A	T		M		K																																																																																											
Last Name/ Surname	R	A	O																																																																																																																																																							
First Name	S	A	T	Y	A	M																																																																																																																																																				
Middle Name	V	E	N	K	A	T		M		K																																																																																																																																																
3	<p>Have you ever been known by any other name?</p>	<p>If applicant selects 'Yes', then it is mandatory to provide details of the other name. Instructions in field No. 1 with respect to name apply here. Title should be similar to the title mentioned in Field No. 1.</p>																																																																																																																																																								

4	a) Date of birth/ Incorporation/ Agreement/ Formation of body of Individuals or Association of persons/ Establishment	<p>Date cannot be a future date. Date: 2nd August 1975 should be written as: Date format- DD/MM/YYYY (Mandatory field)</p> <table border="1" data-bbox="451 168 899 254"> <tr> <td>D</td><td>D</td><td>M</td><td>M</td><td>Y</td><td>Y</td><td>Y</td><td>Y</td> </tr> <tr> <td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>8</td><td>1</td><td>9</td><td>7</td><td>5</td> </tr> </table> <p>Relevant date for different categories of applicants is: Individual: Actual Date of Birth; Company: Date of Incorporation; Association of Persons: Date of formation/ creation; Trusts: Date of creation of Trust Deed; Partnership Firms: Date of Partnership Deed; LLPs: Date of Incorporation/Registration; HUFs: Date of creation of HUF and for ancestral HUF date can be 01-01- 0001 where the date of creation is not available.</p>	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y	0	2	0	8	1	9	7	5																																						
D	D	M	M	Y	Y	Y	Y																																																	
0	2	0	8	1	9	7	5																																																	
	b) Date of Commencement of Business	<p>Applicable to Non-Individuals only. Date cannot be a future date. Date: 2nd August 1975 should be written as: Date format- DD/MM/YYYY (Mandatory field)</p> <table border="1" data-bbox="451 554 899 640"> <tr> <td>D</td><td>D</td><td>M</td><td>M</td><td>Y</td><td>Y</td><td>Y</td><td>Y</td> </tr> <tr> <td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>8</td><td>1</td><td>9</td><td>7</td><td>5</td> </tr> </table>	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y	0	2	0	8	1	9	7	5																																						
D	D	M	M	Y	Y	Y	Y																																																	
0	2	0	8	1	9	7	5																																																	
5	Place & Country of birth/ Incorporation/ Establishment/ Formation	This field is mandatory for all categories of applicants.																																																						
6 a	Legal Entity Identifier	Applicant shall furnish Legal Entity Identifier number, if applicable.																																																						
6b	Tax Residency Certificate Details	Applicant shall furnish Tax Residency Certificate no. and Country of Tax Residency. Applicant shall provide multiple tax residency details, if applicable.																																																						
7a & 7b	Address- Residence/ Registered and Office	<p>R – Residence/ Registered Address: For Individuals, HUF, AOP, BOI or AJP, residential address is mandatory. Other applicants should mention their registered address.</p> <p>O – Office Address:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Name of Office and address to be mentioned in case of individuals having source of income as salary or Business/profession. [Field no. 9] 2) In case of Firm, LLP, Company, Local Authority and Trust, name of office and complete address of office is mandatory. <p>For all categories of applicants, it is necessary to mention complete address and the details of Town/City/District, State/Union Territory and PINCODE are mandatory.</p> <p>In case, a foreign address is provided then it is mandatory to provide Country Name along with ZIP Code of the country.</p>																																																						
7C	Address for Communication/Corr espondence	Individuals/HUFs/AOP/BOI/AJP may indicate either 'Residence' or 'Office' and other applicants should necessarily indicate 'Office' as the Address for Communication/Correspondence. All communication/Correspondence will be sent at the address indicated in this field.																																																						
7d	Contact Details	<p>1) Telephone number should include country code (ISD code) and STD code and Mobile No. should include Country code (ISD Code). For example: (n) Telephone number 23555705 of Delhi should be written as</p> <table border="1" data-bbox="451 1528 1539 1654"> <tr> <td colspan="3">Country code</td> <td colspan="3">STD code</td> <td colspan="7">Telephone Number</td> </tr> <tr> <td>+</td><td>9</td><td>1</td> <td></td><td>1</td><td>1</td> <td>2</td><td>3</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>7</td><td>0</td><td>5</td> </tr> </table> <p>Where '91' is the country code of India and 11 is the STD Code of Delhi.</p> <p>(ii) Mobile number 9102511111 of India should be written as</p> <table border="1" data-bbox="391 1785 1117 1864"> <tr> <td colspan="3">Country code</td> <td colspan="10">Mobile Number</td> </tr> <tr> <td>+</td><td>9</td><td>1</td> <td>9</td><td>1</td><td>0</td><td>2</td><td>5</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td> </tr> </table> <p>Where '91' is the country code of India</p>	Country code			STD code			Telephone Number							+	9	1		1	1	2	3	5	5	5	7	0	5	Country code			Mobile Number										+	9	1	9	1	0	2	5	1	1	1	1	1	1
Country code			STD code			Telephone Number																																																		
+	9	1		1	1	2	3	5	5	5	7	0	5																																											
Country code			Mobile Number																																																					
+	9	1	9	1	0	2	5	1	1	1	1	1	1																																											

		<p>2) It is mandatory for the applicants to mention either their "Telephone number" or valid "e-mail id" so that they can be contacted in case of any discrepancy in the application and/or for receiving PAN through e-mail.</p> <p>3) Application status updates are sent using the SMS facility on the mobile numbers mentioned in the application form</p> <p>4) All communications will be sent on provided mobile no.\ Email-Id.</p> <p>5) FAX number shall be optional.</p>																																												
8	Information regarding Ultimate Beneficial Owner (End Natural Personal)	<p>Please furnish Ultimate Beneficial Owner (UBO) information as applicable. Ultimate beneficial owner shall be as provided under the circular on AML/ CFT & KYC issued by SEBI from time to time. Any natural person identified as the Ultimate Beneficial Owner (UBO) should not be a legal representative, such as a nominee, legal counsel/ attorney, trustee, accountant, administrator etc. 'Control' is as defined in accordance with rule 9(3) of Prevention of Money - laundering (Maintenance of records) Rules, 2005 as amended from time to time. In case the UBO holds India PAN (local tax ID), details of the same need to be provided in the last column of the BO table.</p> <p>List of values in 'Ultimately holding Beneficial ownership' (drop down box)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 10% 2) 15% 3) 25% 4) Others. If Others, Please specify _____ <p>The details required at column no. 8 are exempted for category I applicants as well as Category II applicants with sub category (5)(b)(i) viz., 'Appropriately regulated funds not eligible as Category I FPI.</p>																																												
9	Income details	<p>It is mandatory to indicate at least one of the sources of incomes, as mentioned in the form.</p> <p>List of values in 'Source of Income'</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Salary 2) Capital Gains 3) Income from Business/ Profession 4) No Income 5) Income from other Sources 6) Income from House Property <p>In case, the income from Business/profession is selected by the applicant then an appropriate business/ profession code should be mentioned.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th><th>Business/Profession</th><th>Code</th><th>Business profession</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td><td>Medical Profession and Business</td><td>11</td><td>Films, TV and such other entertainment</td></tr> <tr> <td>02</td><td>Engineering</td><td>12</td><td>Information Technology</td></tr> <tr> <td>03</td><td>Architecture</td><td>13</td><td>Builders and Developers</td></tr> <tr> <td>04</td><td>Chartered Accountant/ Accountancy</td><td>14</td><td>Members of Stock Exchange, Share Brokers and Sub-Brokers</td></tr> <tr> <td>05</td><td>Interior Decoration</td><td>15</td><td>Performing Arts and Yatra</td></tr> <tr> <td>06</td><td>Technical Consultancy</td><td>16</td><td>Operation of Ships, Hovercraft, Aircrafts or Helicopters</td></tr> <tr> <td>07</td><td>Company Secretary</td><td>17</td><td>Plying Taxis, Lorries, Trucks, Buses or other Commercial Vehicles</td></tr> <tr> <td>08</td><td>Legal Practitioner and Solicitors</td><td>18</td><td>Ownership of Horses or Jockeys</td></tr> <tr> <td>09</td><td>Government Contractors</td><td>19</td><td>Cinema Halls and Other Theatres</td></tr> <tr> <td>10</td><td>Insurance Agency</td><td>20</td><td>Others</td></tr> </tbody> </table>	Code	Business/Profession	Code	Business profession	01	Medical Profession and Business	11	Films, TV and such other entertainment	02	Engineering	12	Information Technology	03	Architecture	13	Builders and Developers	04	Chartered Accountant/ Accountancy	14	Members of Stock Exchange, Share Brokers and Sub-Brokers	05	Interior Decoration	15	Performing Arts and Yatra	06	Technical Consultancy	16	Operation of Ships, Hovercraft, Aircrafts or Helicopters	07	Company Secretary	17	Plying Taxis, Lorries, Trucks, Buses or other Commercial Vehicles	08	Legal Practitioner and Solicitors	18	Ownership of Horses or Jockeys	09	Government Contractors	19	Cinema Halls and Other Theatres	10	Insurance Agency	20	Others
Code	Business/Profession	Code	Business profession																																											
01	Medical Profession and Business	11	Films, TV and such other entertainment																																											
02	Engineering	12	Information Technology																																											
03	Architecture	13	Builders and Developers																																											
04	Chartered Accountant/ Accountancy	14	Members of Stock Exchange, Share Brokers and Sub-Brokers																																											
05	Interior Decoration	15	Performing Arts and Yatra																																											
06	Technical Consultancy	16	Operation of Ships, Hovercraft, Aircrafts or Helicopters																																											
07	Company Secretary	17	Plying Taxis, Lorries, Trucks, Buses or other Commercial Vehicles																																											
08	Legal Practitioner and Solicitors	18	Ownership of Horses or Jockeys																																											
09	Government Contractors	19	Cinema Halls and Other Theatres																																											
10	Insurance Agency	20	Others																																											

10	Occupation Details	<p>This field is mandatory for all categories of applicants.</p> <p>List of values in 'Occupational Details'</p> <p>For Individuals (drop down box)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Service - Private sector 2) Service - Public Sector 3) Service - Govt. service 4) Business 5) Professional 6) Agriculturist 7) Retired 8) Housewife 9) Student 10) Others <p>Non- Individuals (drop down box)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Private Company (R) 2) Public Company (U) 3) Body Corporate (D) 4) Financial Institution (S) 5) Non-Government Organisation (N) 6) Charitable Organisation (C)
11	Documents submitted as proof of Identity (POI) & proof of Address (POA) for KYC	<p>List of values in 'Proof of Identity' (POI) (drop down box) –</p> <p>FOR INDIVIDUALS</p> <p>A- Passport Number, Please specify Passport Expiry Date: __/__/____</p> <p>B- Voter ID Card</p> <p>C- PAN card with Photograph</p> <p>D- Driving Licence Number, Please specify Driving Licence Expiry Date: __/__/____</p> <p>F- NREGA Job Card</p> <p>Z- Others (any document notified by the central/state government and its Departments, Statutory/Regulatory Authorities, Tax Authorities, Identification Number _____)</p> <p>FOR NON-INDIVIDUALS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Certificate of Incorporation/ Formation 2) Registration Certificate 3) Memorandum of Article of Association/ Partnership Deed/ Trust Deed/Prospectus/offering memorandum or equivalent document <p>Clarification / Guidelines for filling 'Proof of Identity[Pol]' section</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. If driving license number or passport is provided as proof of identity then expiry date is to be mandatorily furnished. 2. Mention identification / reference number if 'Z- Others (any document notified by the central government)' is selected. 3. One copy of any one of the mentioned Proof of Identity [Pol] needs to be submitted. 4. Copies of all the documents submitted by the applicant should be self-attested and accompanied by originals for verification OR Copies should be properly attested by entities authorized for attesting the documents 5. If any proof of identity is in a foreign language, then translation into English is required. <p>List of values in 'Proof of Address' (POA) (drop down box)</p> <p>FOR INDIVIDUALS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Passport 2) Driving Licence 3) Voter Identity Card

		<p>4) NREGA Job Card</p> <p>5) Others (any document notified by the central/state government and its Departments, Statutory/Regulatory Authorities, Tax Authorities) _____</p> <p><u>FOR NON-INDIVIDUALS</u></p> <p>1) Certification of Incorporation/ Formation</p> <p>2) Registration Certificate</p> <p>3) Category 1 and Category 2 FPIs: Power of Attorney given by FPI to Custodians (duly notarized and/or apostilled or consularised) that mentions the registered address of the FPI</p> <p>4) Utility bill, which is not more than two months old, of any service provider (landline or electricity);</p> <p>5) Bank account statement, Not more than 3 months old</p> <p>Document with address, issued by Central/State Government and its Departments, Statutory/Regulatory Authorities, Tax Authorities.</p> <p>Clarification / Guidelines on filling 'Proof of Address [PoA]-section</p> <p>1. One copy of any one of the mentioned PoA needs to be submitted.</p> <p>i. Copies of all the documents submitted by the applicant should be self-attested and accompanied by originals for verification OR</p> <p>ii. Copies should be properly attested by entities authorized for attesting the documents.</p> <p>2. PoA to be submitted only if the submitted PoA does not have an address or address as per PoA is invalid or not in force.</p> <p>3. Name & address of the applicant mentioned on the KYC form, should match with the documentary proof submitted.</p> <p>4. If correspondence & permanent address are different, then proofs for both have to be submitted.</p> <p>5. If any proof of address is in a foreign language, then translation into English is required.</p>
12	Politically exposed person	Politically Exposed Persons (PEP) are defined as individuals who are or have been entrusted with prominent public functions in a foreign country, e.g., Heads of States or of Governments, senior politicians, senior Government/judicial/ military officers, senior executives of state owned corporations, important political party officials, etc.
13	Category of Applicant	<p>List of values in 'Type of Category' for FPI (drop down box)</p> <p>1) Category- I</p> <p>2) Category- II</p> <p>List of values in 'Name of Sub Category of FPI' (drop down box)</p> <p>a. "Category I foreign portfolio investor" which shall include –</p> <p>(i) Government and Government related investors such as central banks, sovereign wealth funds, international or multilateral organizations or agencies including entities controlled or at least 75% directly or indirectly owned by such Government and Government related investor(s);</p> <p>(ii) Pension funds and university funds;</p> <p>(iii) Appropriately regulated entities such as insurance or reinsurance entities, banks, asset management companies, investment managers, investment advisors, portfolio managers, broker dealers and swap dealers;</p> <p>(iv) Entities from the Financial Action Task Force member countries which are –</p> <p>I. appropriately regulated funds;</p> <p>II. unregulated funds whose investment manager is appropriately regulated and registered as a Category I foreign portfolio investor: Provided that the investment manager undertakes the responsibility of all the acts of commission or omission of such unregulated fund;</p> <p>III. university related endowments of such universities that have been in existence for more than five years;</p> <p>(v) An entity (A) whose investment manager is from the Financial Action Task Force member country and such an investment manager is registered as a Category I foreign portfolio investor; or (B) which is at least seventy-five per cent owned, directly or indirectly by another entity, eligible under sub-clause (ii), (iii) and (iv) of clause (a) of this regulation and such an eligible entity is from a Financial Action Task Force member country:</p>

		<p>Provided that such an investment manager or eligible entity undertakes the responsibility of all the acts of commission or omission of the applicants seeking registration under this sub-clause.</p> <p>b. "Category II foreign portfolio investor" shall include all the investors not eligible under Category I foreign portfolio investors such as –</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) appropriately regulated funds not eligible as Category-I foreign portfolio investor; (ii) endowments and foundations; (iii) charitable organisations; (iv) corporate bodies; (v) family offices; (vi) Individuals; (vii) appropriately regulated entities investing on behalf of their client, as per conditions specified by the Board from time to time; (viii) Unregulated funds in the form of limited partnership and trusts; <p>Explanation: An applicant incorporated or established in an International Financial Services Centre shall be deemed to be appropriately regulated.</p> <p>In case of Investment manager proposed to be registered under Category I, it may be clarified whether it is investing entity or not.</p>
15	Details of Investment Manager of FPIs	FPIs are required to provide name of its Investment Manager wherever applicable
16	Whether the applicant has provided with valid self-certification/ FATCA/CRS declaration.	Foreign entity cannot open demat account for investment in India without valid self-certification/ FATCA/CRS declaration form (Not mandatory for non-investing FPIs).
17	Information pertaining to the compliance officer	This field is applicable to Non-Individuals
24	Whether the applicant already holds PAN	<p>List of values in 'Whether the applicant holds PAN' (drop down box)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Yes 2) No <p>If "NO", then please mention fields from pt. 25 to 31.</p>
25	Status of Applicant	<p>This field is mandatory for all categories of applicants. In case of 'Limited Liability Partnership', the PAN will be allotted in 'Firm' status.</p> <p>List of values in 'Status of Applicant' (drop down box)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Individual 2) Company 3) Partnership firm 4) Government 5) Trusts 6) Body of individuals 7) Local Authority 8) Artificial Juridical persons 9) Association of Persons 10) Limited Liability Partnership
27	Registration Number	Not applicable to Individuals and HUFs. Mandatory for 'Company'. Company should mention registration number issued by the Registrar of Companies or the concerned Government Authority of country of residence.

28	Name and address of Representative Assessee	<p>Section 160 of Indian Income Tax Act, 1961 provides that any 'specified person' (assessee) can be represented through Representative Assessee. Therefore, this column should be filled in by representative assessee only as specified in Section 160 of the Indian Income-tax Act, 1961, such as, an agent of the non-resident, guardian or manager of a minor, lunatic or idiot, Court of Wards, Administrator General, Official Trustee, receiver, manager, trustee of a Trust including Wakf.</p> <p>This field will contain particulars of the Representative Assessee. This field is mandatory if applicant is minor, deceased, idiot, lunatic or mentally retarded. The details of person on whose behalf this application is submitted.</p> <p>Proof of Identity and Proof of address are also required for representative assessee.</p>												
31	Documents submitted as proof of Identity (POI) & proof of Address (POA) for PAN	<p>It is mandatory to attach proof of identity and proof of address with PAN application. Documents should be in the name of applicant. List of documents which will serve as proof of identity and address for each status of applicant is as given below:</p> <p>Document acceptable as proof of identity and address as per Rule 114(4) of Income Tax Rules, 1962</p> <p>For Individuals and HUF</p> <table><tr><th>Proof of Identity (Copy of)</th><th>Proof of address (copy of)</th></tr><tr><td>1. Copy of passport, or</td><td>1. Copy of passport, or</td></tr><tr><td>2. Copy of Person of Indian Origin (PIO) card issued by Government of India, or</td><td>2. Copy of Person of Indian Origin (PIO) card issued by Government of India, or</td></tr><tr><td>3. Copy of Overseas Citizen of India (OCI) card issued by Government of India, or</td><td>3. Copy of Overseas Citizen of India (OCI) card issued by Government of India, or</td></tr><tr><td>4. Copy of other national or citizenship Identification Number or Taxpayer Identification Number duly attested by "Apostille" (in respect of countries which are signatories to the Hague Convention of 1961) or by the Indian Embassy or High Commission or Consulate in the country where the applicant is located or authorised officials of overseas branches of Scheduled Banks registered in India.</td><td>4. Copy of other national or citizenship Identification Number or Taxpayer Identification Number duly attested by "Apostille" (in respect of the countries which are signatories to the Hague Convention of 1961) or by the Indian Embassy or High Commission or Consulate in the country where the applicant is located or authorised officials of overseas branches of Scheduled Banks registered in India, or 5. Copy of Bank account statement in the country of residence, or 6. Copy of Non-resident External (NRE) bank account statement in India, or 7. Copy of Certificate of Residence in India or Residential permit issued by the State Police Authorities, or 8. Copy of Registration certificate issued by the Foreigner's Registration Office showing Indian address, or 9. Copy of Visa granted & Copy of appointment letter or contract from Indian Company & Certificate (in original) of Indian address issued by the employer.</td></tr></table> <p>For other than Individuals</p> <table><tr><td>1. Copy of Certificate of Registration issued in the country where the applicant is located, duly attested by "Apostille" (in respect of the countries which are signatories to the Hague Convention of 1961) or by the Indian Embassy or High Commission or Consulate in the country where the applicant is located or authorised officials of overseas branches of Scheduled Banks registered in India, or 2. Copy of registration certificate issued in India or of approval granted to set up office in India by Indian Authorities.</td><td>1. Copy of Certificate of Registration issued in the country where the applicant is located, duly attested by "Apostille" (in respect of the countries which are signatories to the Hague Convention of 1961) or by the Indian Embassy or High Commission or Consulate in the country where the applicant is located or authorised officials of overseas branches of Scheduled Banks registered in India, or 2. Copy of registration certificate issued in India or of approval granted to set up office in India by Indian Authorities.</td></tr></table>	Proof of Identity (Copy of)	Proof of address (copy of)	1. Copy of passport, or	1. Copy of passport, or	2. Copy of Person of Indian Origin (PIO) card issued by Government of India, or	2. Copy of Person of Indian Origin (PIO) card issued by Government of India, or	3. Copy of Overseas Citizen of India (OCI) card issued by Government of India, or	3. Copy of Overseas Citizen of India (OCI) card issued by Government of India, or	4. Copy of other national or citizenship Identification Number or Taxpayer Identification Number duly attested by "Apostille" (in respect of countries which are signatories to the Hague Convention of 1961) or by the Indian Embassy or High Commission or Consulate in the country where the applicant is located or authorised officials of overseas branches of Scheduled Banks registered in India.	4. Copy of other national or citizenship Identification Number or Taxpayer Identification Number duly attested by "Apostille" (in respect of the countries which are signatories to the Hague Convention of 1961) or by the Indian Embassy or High Commission or Consulate in the country where the applicant is located or authorised officials of overseas branches of Scheduled Banks registered in India, or 5. Copy of Bank account statement in the country of residence, or 6. Copy of Non-resident External (NRE) bank account statement in India, or 7. Copy of Certificate of Residence in India or Residential permit issued by the State Police Authorities, or 8. Copy of Registration certificate issued by the Foreigner's Registration Office showing Indian address, or 9. Copy of Visa granted & Copy of appointment letter or contract from Indian Company & Certificate (in original) of Indian address issued by the employer.	1. Copy of Certificate of Registration issued in the country where the applicant is located, duly attested by "Apostille" (in respect of the countries which are signatories to the Hague Convention of 1961) or by the Indian Embassy or High Commission or Consulate in the country where the applicant is located or authorised officials of overseas branches of Scheduled Banks registered in India, or 2. Copy of registration certificate issued in India or of approval granted to set up office in India by Indian Authorities.	1. Copy of Certificate of Registration issued in the country where the applicant is located, duly attested by "Apostille" (in respect of the countries which are signatories to the Hague Convention of 1961) or by the Indian Embassy or High Commission or Consulate in the country where the applicant is located or authorised officials of overseas branches of Scheduled Banks registered in India, or 2. Copy of registration certificate issued in India or of approval granted to set up office in India by Indian Authorities.
Proof of Identity (Copy of)	Proof of address (copy of)													
1. Copy of passport, or	1. Copy of passport, or													
2. Copy of Person of Indian Origin (PIO) card issued by Government of India, or	2. Copy of Person of Indian Origin (PIO) card issued by Government of India, or													
3. Copy of Overseas Citizen of India (OCI) card issued by Government of India, or	3. Copy of Overseas Citizen of India (OCI) card issued by Government of India, or													
4. Copy of other national or citizenship Identification Number or Taxpayer Identification Number duly attested by "Apostille" (in respect of countries which are signatories to the Hague Convention of 1961) or by the Indian Embassy or High Commission or Consulate in the country where the applicant is located or authorised officials of overseas branches of Scheduled Banks registered in India.	4. Copy of other national or citizenship Identification Number or Taxpayer Identification Number duly attested by "Apostille" (in respect of the countries which are signatories to the Hague Convention of 1961) or by the Indian Embassy or High Commission or Consulate in the country where the applicant is located or authorised officials of overseas branches of Scheduled Banks registered in India, or 5. Copy of Bank account statement in the country of residence, or 6. Copy of Non-resident External (NRE) bank account statement in India, or 7. Copy of Certificate of Residence in India or Residential permit issued by the State Police Authorities, or 8. Copy of Registration certificate issued by the Foreigner's Registration Office showing Indian address, or 9. Copy of Visa granted & Copy of appointment letter or contract from Indian Company & Certificate (in original) of Indian address issued by the employer.													
1. Copy of Certificate of Registration issued in the country where the applicant is located, duly attested by "Apostille" (in respect of the countries which are signatories to the Hague Convention of 1961) or by the Indian Embassy or High Commission or Consulate in the country where the applicant is located or authorised officials of overseas branches of Scheduled Banks registered in India, or 2. Copy of registration certificate issued in India or of approval granted to set up office in India by Indian Authorities.	1. Copy of Certificate of Registration issued in the country where the applicant is located, duly attested by "Apostille" (in respect of the countries which are signatories to the Hague Convention of 1961) or by the Indian Embassy or High Commission or Consulate in the country where the applicant is located or authorised officials of overseas branches of Scheduled Banks registered in India, or 2. Copy of registration certificate issued in India or of approval granted to set up office in India by Indian Authorities.													

32	Gender	<p>This field is mandatory for Individuals List of values in 'Gender' (drop down box)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Male 2) Female 3) Transgender
33	Marital Status	<p>This field is mandatory for Individuals List of values in 'Marital Status' (drop down box)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Single 2) Married 3) Divorced 4) Widow/Widower
34	Citizenship Status	<p>This field is mandatory for individual applicants. List of values in 'Citizenship Status' (drop down box)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Foreigner 2) Person of Indian origin 3) Overseas citizen of India <p>For FPI applicants, only Foreigner (Citizenship Status) shall be applicable. In case of Foreigner, please specify country of citizenship as applicable.</p>
35	Details of Parents (Applicable to Individuals only)	<p>Instructions in Item No.1 with respect to name apply here.</p> <p><u>Whether mother is a single parent and you wish to apply for PAN by furnishing mother's name only?</u></p> <p>It is mandatory for Individual applicants to select the flag (i.e. 'Yes' or 'No'). This flag should be selected as 'Yes' only if (i) Mother is a single parent, and (ii) You wish to apply for PAN using mother's name only. Father's name should be left blank. If the flag is selected as 'No', then father's name is mandatory. For such cases, mother's name is optional.</p> <p><u>Father's Name:</u> It is mandatory for Individual applicants (except for cases where mother is a single parent) to provide father's name. Married woman applicant should also give father's name and not husband's name.</p> <p><u>Mother's Name:</u> This is an optional field. Mother's name is mandatory if the flag value (i.e. Whether mother is a single parent and you wish to apply for PAN by furnishing mother's name only?) is selected as 'Yes'.</p> <p><u>Name to be printed on the PAN card:</u> Appropriate flag should be selected to indicate the name (out of the father's name and mother's name given in the form) to be printed on the PAN card. If the 'Mother as a Single Parent' field is selected as 'Yes', then mother's name flag should only be selected for the name to be printed on the PAN Card.</p> <p>If none of the option is selected, then father's name shall be considered for printing on the PAN card. In case of mother as a single parent, mother's name shall be considered for printing on the PAN Card.</p>
	Signature/ impression Thumb	<p>Application must be signed by (i) the applicant; or (ii) Karta in case of HUF; or (iii) Director of a Company; or (iv) Authorised Signatory in case of AOP, Body of Individuals, Local Authority and Artificial Juridical Person; or (v) Partner in case of Firm/LLP; or (vi) Trustee; or (vii) Representative Assessee in case of Minor/deceased/idiot/ lunatic/mentally retarded. Applications not signed in the given manner and in the space provided are liable to be rejected.</p>